निबंधन संख्या पी0टी0-40

सत्यमेव जयते

बिहार गजट

बिहार सरकार द्वारा प्रकाशित

20 श्रावण 1943 (श0)

संख्या 28 पटना, बुधवार,

11 अगस्त 2021 (ई0)

विषय-सूची

	पृष्ठ
भाग-1–नियुक्ति, पदस्थापन, बदली, शक्ति, छुट्टी और अन्य व्यक्तिगत सूचनाएं।	**2-7**
भाग-1-क–स्वयंसेवक गुल्मों के समादेष्टाओं के आदेश।	---
भाग-1-ख–मैट्रीकुलेशन, आई0ए0, आई0एससी0, बी0ए0, बी0एससी0, एम0ए0, एम0एससी0, लॉ भाग-1 और 2, एम0बी0बी0एस0, बी0एस0ई0, डीप0-इन-एड0, एम0एस0 और मुख्तारी परीक्षाओं के परीक्षा-फल, कार्यक्रम, छात्रवृत्ति प्रदान, आदि।	---
भाग-1-ग–शिक्षा संबंधी सूचनाएं, परीक्षाफल आदि	---
भाग-2–बिहार-राज्यपाल और कार्याध्यक्षों द्वारा निकाले गये विनियम, आदेश, अधिसूचनाएं और नियम आदि।	**8-8**
भाग-3–भारत सरकार, पश्चिम बंगाल सरकार और उच्च न्यायालय के आदेश, अधिसूचनाएं और नियम, 'भारत गजट' और राज्य गजटों के उद्धरण।	---
भाग-4–बिहार अधिनियम	---

	पृष्ठ
भाग-5–बिहार विधान मंडल में पुर:स्थापित विधेयक, उक्त विधान मंडल में उपस्थापित या उपस्थापित किये जानेवाले प्रवर समितियों के प्रतिवेदन और उक्त विधान मंडल में पुर:स्थापन के पूर्व प्रकाशित विधेयक।	---
भाग-7–संसद के अधिनियम जिनपर राष्ट्रपति की ज्येष्ठ अनुमति मिल चुकी है।	---
भाग-8–भारत की संसद में पुर:स्थापित विधेयक, संसद में उपस्थापित प्रवर समितियों के प्रतिवेदन और संसद में उपस्थापित प्रवर समितियों के प्रतिवेदन और संसद में पुर:स्थापन के पूर्व प्रकाशित विधेयक।	---
भाग-9–विज्ञापन	---
भाग-9-क–वन विभाग की नीलामी संबंधी सूचनाएं	---
भाग-9-ख–निविदा सूचनाएं, परिवहन सूचनाएं, न्यायालय सूचनाएं और सर्वसाधारण सूचनाएं इत्यादि।	**9-24**
पूरक	---
पूरक-क	**25-28**

भाग–1

नियुक्ति, पदस्थापन, बदली, शक्ति, छुट्टी और अन्य व्यक्तिगत सूचनाएं।

गन्ना उद्योग विभाग

अधिसूचना

4 अगस्त 2021

सं0 1/स्था–02–04/2011–1222––बिहार राज्य चीनी निगम लि0, पटना के प्रबंध निदेशक के पद पर सामान्य प्रशासन विभाग, बिहार, पटना द्वारा पदस्थापन नहीं होने के कारण निगम के कार्यो को सुचारु रुप से सम्पादित किये जाने में कठिनाई हो रही है। न्यायादेश का अनुपालन एवं महत्वपूर्ण मामले का निष्पादन में भी कठिनाई हो रही है। ऐसी स्थिति में श्री गिरिवर दयाल सिंह, भा०प्र०से०, ईखायुक्त, बिहार, पटना को बिहार स्टेट सुगर कॉरपोरेशन लि0, पटना के प्रबंध निदेशक के रिक्त पद का अतिरिक्त प्रभार दिया जाता है।

2. प्रस्ताव में विभागीय मंत्री का अनुमोदन प्राप्त है।

बिहार–राज्यपाल के आदेश,
अरूण कुमार, अवर सचिव।

वाणिज्य–कर विभाग

अधिसूचनाएं

20 जुलाई 2021

सं0 कौन/भी–121/2003–58/सी––चारा घोटाला से संबंधित सी0बी0आई0 काण्ड सं0–64(ए)/96 पैट के नामजद अभियुक्त श्री सुबीर कुमार भट्टाचार्य, तत्कालीन कोषागार पदाधिकारी, देवघर सम्प्रति सेवानिवृत वाणिज्य–कर सहायक आयुक्त के विरूद्ध माननीय सी0बी0आई0 न्यायालय, राँची द्वारा दिनांक 23.12.2017 एवं दिनांक 06.01.2018 को पारित आदेश/न्याय निर्णय में श्री भट्टाचार्य को I.P.C. की धारा–120B सह–पठित–420, 467, 468, 471 एवं 477A के तहत दोषी पाते हुए 3 वर्ष 6 माह के सश्रम कारावास एवं 5 लाख रूपये के अर्थदण्ड तथा P.C. Act, 1988 की धारा–13(2) सह–पठित धारा–13(i)(C) & (d) के तहत दोषी पाते हुए 3 वर्ष 6 माह के सश्रम कारावास एवं 5 लाख रूपये के अर्थदण्ड की सजा दी गयी।

उक्त पारित न्याय निर्णय के आलोक में श्री भट्टाचार्य को कारण पृच्छा नोटिस प्रेषित किया गया। श्री भट्टाचार्य द्वारा दिये गये कारण पृच्छा जवाब में वर्णित तथ्यों की समीक्षा करते हुए विधि विभाग से परामर्श प्राप्त की गयी। विधि विभाग से प्राप्त परामर्श एवं श्री भट्टाचार्य द्वारा दिये गये कारण पृच्छा जवाब में वर्णित तथ्यों के आलोक में श्री भट्टाचार्य का आवेदन स्वीकार योग्य नहीं पाया गया एवं बिहार पेंशन नियमावली के नियम–43 (ए) के तहत श्री सुबीर कुमार भट्टाचार्य, तत्कालीन कोषागार पदाधिकारी, देवघर सम्प्रति सेवानिवृत वाणिज्य–कर सहायक आयुक्त के पूर्ण पेंशन एवं उपदान के भुगतान पर स्थायी रूप से रोक लगाये जाने का निर्णय सक्षम प्राधिकार द्वारा लिया गया।

तत्पश्चात् उक्त दण्ड प्रस्ताव पर बिहार लोक सेवा आयोग, पटना से परामर्श की मांग की गयी। जिसके आलोक में बिहार लोक सेवा आयोग, पटना द्वारा उक्त दण्ड प्रस्ताव पर सहमति प्रदान की गयी।

तदालोक में विभागीय अधिसूचना सं0–326/सी दिनांक–16.10.2019 द्वारा बिहार पेंशन नियमावली के नियम–43(ए) के तहत श्री सुबीर कुमार भट्टाचार्य, तत्कालीन कोषागार पदाधिकारी, देवघर सम्प्रति सेवानिवृत (सेवानिवृति की तिथि 30.09.2014) के पूर्ण पेंशन एवं उपदान के भुगतान पर स्थायी रूप से रोक लगाये जाने संबंधी दण्ड संसूचित किया गया।

उक्त अधिसूचना सं0–326/सी दिनांक 16.10.2019 द्वारा दिये गये दण्ड के विरूद्ध श्री भट्टाचार्य द्वारा माननीय पटना उच्च न्यायालय में सी0डब्ल्यू0जे0सी0 सं0–4614/2020 दायर किया गया। जिसमें माननीय पटना उच्च न्यायालय द्वारा दिनांक 24.09.2020 को न्याय निर्णय पारित किया गया, जिसका प्रभावी अंश निम्नवत् है:–

"Having heard learned counsel for the parties, on going through the judgment relied on and considering the submissions made by learned counsel for the petitioner, this Court finds that the case of the petitioner is fully covered by the judgment of the Division Bench in the case of Nityanand kumar singh (supra). The relevant part of paragraph no.6 of the judgment is being quoted herein below for ready reference:

"6. …… The serious crime or grave misconduct under this provision, i.e. Rule 43(a) is not related to his conduct during service and/or service rendered on re-employment. It is a

conduct expected of a pensioner in future after he is granted pension. Thus, there is clear distinction between the aim and object of Rule 43(a) and that of Rule 43(b). Both the provisions operate in different areas having different connotations. The decision under Rule 43(a) is not on account of any departmental proceeding or any judicial proceeding instituted when the Government servant was in service or instituted later in respect of an event which related to his service rendered before retirement or on re-employment …………….. On the other hand, the future good conduct mentioned in Rule 43(a) is good conduct expected of every Government servant even after superannuation. Such future conduct is not related to his service period at all."

So far as the facts of the instant case is concerned, the order impugned has been passed under Rule 43(a) of the Bihar Pension Rules consequent to the petitioner's conviction in a criminal case with respect to an FIR/event of 1996 i.e. during his service period, the petitioner having superannuated on 30.09.2014.

Thus, in view of the facts stated above the Court finds that the case of the petitioner is fully covered by the judgment of the Division Bench in the case of Nityanand Kumar Singh (supra) and the order impugned having been passed under Rule 43(a) of the Bihar Pension Rules is not sustainable in law. The same is set aside.

The writ application stands allowed with all consequential benefits."

माननीय पटना उच्च न्यायालय द्वारा पारित उक्त आदेश/न्याय निर्णय के आलोक में विभागीय अधिसूचना संख्या–231/सी दिनांक 22.12.2020 द्वारा निम्नांकित निर्णय लिया गया :–

1. श्री सुबीर कुमार भट्टाचार्य को बिहार पेंशन नियमावली के नियम 43(ए) के तहत पूर्ण पेंशन एवं उपदान पर लगायी गयी रोक से संबंधित निर्गत अधिसूचना सं0–326/सी दिनांक 16.10.2019 को निरस्त किया जाता है।

2. चारा घोटाला से संबंधित आपराधिक काण्ड सं0–64(ए)/96 पैट में माननीय सी0बी0आई0 न्यायालय, राँची द्वारा दिनांक 23.12.2017 एवं 06.01.2018 को दोषी एवं दंडित किये जाने के कारण श्री सुबीर कुमार भट्टाचार्य, तत्कालीन कोषागार पदाधिकारी, देवघर सम्प्रति सेवानिवृत्त के विरूद्ध बिहार पेंशन नियमावली के नियम 43(बी) के तहत कारण पृच्छा नोटिस जारी कर अलग से कार्रवाई की जायेगी तथा इसके फलाफल से श्री भट्टाचार्य का पेंशन एवं उपदान निर्धारित होगा।

उक्त लिये गये निर्णय के आलोक में विभागीय पत्रांक–234/सी (अनु0) दिनांक 26.12.2021 द्वारा श्री भट्टाचार्य को कारण पृच्छा नोटिस प्रेषित किया गया।

श्री भट्टाचार्य द्वारा बिहार पेंशन नियमावली के नियम 43 (ए) के तहत पूर्ण पेंशन एवं उपदान पर लगायी गयी रोक से संबंधित विभागीय अधिसूचना संख्या–326/सी दिनांक 16.10.2019 को विभागीय अधिसूचना संख्या–231/सी दिनांक 22.12.2020 द्वारा निरस्त किये जाने के आलोक में पेंशन बन्द होने की तिथि दिनांक–16.10.2019 से 90ः पेंशन प्रदान किये जाने का अनुरोध किया गया। श्री भट्टाचार्य द्वारा किये गये अनुरोध के आलोक में सामान्य प्रशासन विभाग, बिहार, पटना से परामर्श की मांग की गयी। सामान्य प्रशासन विभाग द्वारा मुख्य रूप से निम्नांकित परामर्श दिया गयाः–

"श्री सुबीर कुमार भट्टाचार्य तत्कालीन कोषागार पदाधिकारी, देवघर सम्प्रति सेवानिवृत जो पशुपालन घोटाला में सी0बी0आई0 कांड संख्या–64(ए)/96 पैट में नामजद अभियुक्त है। इस वाद में सी0बी0आई0 न्यायालय, राँची द्वारा दिनांक 23.12.2017 एवं 06.01.2018 को पारित आदेश में श्री भट्टाचार्य को IPC की धारा–120(बी)–सह पठित धारा–420, 467, 468, 471 एवं 477(ए) के तहत दोषी पाते हुए 3 वर्ष 6 माह का सश्रम कारावास एंव 5 लाख रूपये का अर्थदंड तथा P.C.Act, 1988 की धारा–13(2)–सह पठित–धारा–13(1) (C) & (D) के तहत 3 वर्ष 6 माह का सश्रम कारावास एवं 5 लाख के अर्थदंड की सजा दी गयी है। जबकि श्री भट्टाचार्य Judicial proceeding में दोषी पाये गये है। इसलिए बिहार पेंशन नियमावली, 1950 की नियम–43(बी) एवं परंतुक (सी) के प्रावधान के तहत बिहार लोक सेवा आयोग से सहमति प्राप्त करते हुए उनका पूर्ण पेंशन अवरूद्ध किये जाने का निर्णय प्रशासी विभाग द्वारा लिया जा सकता है।

प्रसंगवश यहाँ इस बात का उल्लेख भी किया जाता है कि श्री नित्यानंद कुमार सिंह के मामले में पशुपालन घोटाला में सी0बी0आई0 न्यायालय द्वारा दोषी पाये जाने एवं सजा दिये जाने के उपरांत बिहार पेंशन नियमावली, 1950 के नियम–43(बी) के तहत कर्रवाई करते हुए उनके शत–प्रतिशत पेंशन को अवरूद्ध किये जाने का निर्णय सामान्य प्रशासन विभाग द्वारा लिया गया है।"

श्री भट्टाचार्य द्वारा कारण पृच्छा नोटिस (पत्रांक–234/सी(अनु0) दिनांक 26.12.2020) के आलोक में विभाग को कारण पृच्छा जवाब/स्पष्टीकरण समर्पित किया गया। श्री भट्टाचार्य से प्राप्त कारण पृच्छा जवाब/स्पष्टीकरण को सम्यक् समीक्षोपरान्त अस्वीकृत करते हुए उनके विरूद्ध बिहार पेंशन नियमावली के नियम 43(ख) के तहत उनके पूर्ण पेंशन एवं उपदान के भुगतान पर स्थायी रूप से रोक लगाये जाने के दंड प्रस्ताव पर माननीय उपमुख्य (वाणिज्य–कर) मंत्री महोदय का अनुमोदन प्राप्त किया गया है।

तत्पश्चात उक्त दंड प्रस्ताव पर विभागीय पत्रांक–45/सी (अनु0) दिनांक 26.03.2021 द्वारा बिहार लोक सेवा आयोग, पटना से परामर्श/सहमति प्रदान करने हेतु अनुरोध किया गया। जिसके आलोक में बिहार लोक सेवा, पटना के पत्रांक–05/प्रो.–36–02/2021(614)/लो.से.आ. दिनांक 28.06.2021 द्वारा उक्त दंड प्रस्ताव पर सहमति प्रदान की गयी है।

अतः सरकार द्वारा लिये गये निर्णय एवं बिहार लोक आयोग द्वारा दंड प्रस्ताव पर दिये गये सहमति के आलोक में बिहार पेंशन नियमावली के नियम 43(बी) के तहत श्री सुबीर कुमार भट्टाचार्य, तत्कालीन कोषागार पदाधिकारी, देवघर सम्प्रति सेवानिवृत (सेवानिवृति की तिथि 30.09.2014) के पूर्ण पेंशन एवं उपदान के भुगतान पर स्थायी रूप से रोक लगायी जाती है।

उक्त प्रस्ताव पर सक्षम प्राधिकार का अनुमोदन प्राप्त है।

बिहार–राज्यपाल के आदेश से,
अरूण कुमार मिश्रा, विशेष सचिव।

---

5 अगस्त 2021

सं0 कौन/भी–401/2017–77/सी––समेकित जाँच चौकी डोभी, गया पर निरीक्षी पदाधिकारियों द्वारा दिनांक 09.02.2015 को प्रातः 5:50 A.M बजे वाहन संख्या HP-38C-1717 का निरीक्षण किया गया। निरीक्षण के दौरान चालक द्वारा माल के परिवहन हेतु वांछनीय अनुज्ञा–पत्र प्रपत्र D-VII प्रस्तुत नहीं किये जाने के कारण बिहार मूल्य वर्द्धित कर अधिनियम, 2005 की धारा 60(2) एवं संगत नियमावली के नियम 40(2) का उल्लघंन पाये जाने के फलस्वरूप माल सहित वाहन को जप्त किया गया।

वाहन जप्ती के उपरान्त वाहन के चालक/प्रतिनिधि के द्वारा माल के परिवहन हेतु वांछनीय अनुज्ञा–पत्र प्रपत्र D-VII संख्या–1017090020980215 का सृजन दिनांक–09.02.2015 को अपराहन 12:02 P.M बजे किया गया एवं दिनांक 10.02.2015 को इस अनुज्ञा–पत्र को संलग्न करते हुए वाहन को विमुक्त करने का अनुरोध किया गया।

उपरोक्त वाहन का विमुक्ति आदेश श्री ध्रुवनारायण साहु, तत्कालीन वाणिज्य–कर पदाधिकारी समेकित जाँच चौकी डोभी, गया द्वारा दिनांक 10.02.2015 को यह अंकित करते हुए पारित किया गया कि ''परिवहनकर्त्ता द्वारा हाजरी दी गयी। साथ ही D-VII संख्या–1017090020980215 प्रस्तुत किया गया जो दिनांक 09.02.2015 समय 12:02 P.M निर्गत है, प्रस्तुत किया गया जो अभिलेख पर संलग्न है। इस प्रकार वाहन जप्ती समय 5:50 P.M से पूर्व का ही सुविधा बना हुआ है। फलतः कर अपवंचना की कोई मंशा नहीं है। D-VII संख्या–1017090020980215 को approve कर माल सहित वाहन को विमुक्त करें।''

इस मामले में कर अपवंचना की शिकायत मिलने पर इसकी जाँच श्री राजीव कुमार, राज्य कर विशेष आयुक्त, केन्द्रीय अन्वेषण ब्यूरो, बिहार, पटना से करायी गयी। जाँच पदाधिकारी के जाँच प्रतिवेदन से स्पष्ट हुआ कि प्रसंगाधीन मामले के निरीक्षण प्रतिवेदन में अंकित समय पर छेड़छाड़ (overwriting) की गयी है। वास्तविक रूप में संगत वाहन की जब्ती प्रातः 5.50 A.M थी जिसे बाद में overwriting कर सायं 5.50 P.M बनाया गया। इस प्रकार प्रथम द्रष्टया राजस्व की क्षति पायी गयी।

उल्लेखनीय है कि विमुक्ति आदेश पारित किये जाने हेतु श्री साहु को किसी वरीय पदाधिकारी से आदेश प्राप्त नहीं था। श्री साहु द्वारा निरीक्षण प्रतिवेदन में अंकित समय की सम्यक् रूप से जाँच किये बगैर अनियमित तरीके से निरीक्षण के बाद सृजित सुविधा प्रपत्र D-VII को स्वीकार करते हुए माल सहित वाहन को विमुक्त किये जाने का आदेश दिनांक 10.02.2015 को पारित किया गया। जिससे रू0 68824.00 की राजस्व की क्षति हुई।

उक्त कृत्य के लिये बिहार पेंशन नियमावली, 1950 के नियम 139(ग) के तहत कार्रवाई करते हुये श्री साहु से स्पष्टीकरण की मांग की गयी। श्री ध्रुव नारायण साहु, सेवानिवृत राज्य कर संयुक्त आयुक्त से प्राप्त स्पष्टीकरण की सम्यक् समीक्षोंपरान्त असहमत होते हुए इनके पेंशन से प्रति माह 6650/– रू0 दस किस्तो में एवं शेष रूपये 2024/– की वसूली अंतिम किस्त में किये जाने का निर्णय लिया जाता है।

प्रस्ताव पर सक्षम प्राधिकार का अनुमोदन प्राप्त है।

बिहार–राज्यपाल के आदेश से,
अरूण कुमार मिश्रा, विशेष सचिव।

पर्यावरण वन, एवं जलवायु परिवर्तन विभाग

अधिसूचना
28 जुलाई 2021

सं0– 2/बि०व०से०(आ०)–01/17–1950/प.व.ज.प.––श्री अवधेश कुमार ओझा, बि.व.से., तत्कालीन वन प्रमंडल पदाधिकारी, शोध, प्रशिक्षण एवं जनसम्पर्क प्रमंडल, पटना सम्प्रति वन प्रमंडल पदाधिकारी, नवादा के विरूद्ध विभागीय ज्ञापन संख्या–2622 दिनांक 21.08.2017 द्वारा बिहार सरकारी सेवक (वर्गीकरण नियंत्रण एवं अपील) नियमावली के नियम–17 के संगत प्रावधानों के तहत् निम्न आरोपों को गठित किया गया :–

1. बिहार सरकारी सेवक आचार नियमावली के नियम–3 का उल्लंघन
2. आदेश की अवहेलना
3. बिहार सरकारी सेवक आचार नियमावली, 1976 के नियम–19 का उल्लंघन

विभागीय संकल्प संख्या–3365 दिनांक 17.10.2017 द्वारा श्री ओझा के विरूद्ध विभागीय कार्यवाही प्रारंभ करते हुए विभागीय जाँच आयुक्त, पटना को संचालन पदाधिकारी नियुक्त किया गया।

उक्त विभागीय कार्यवाही में विभागीय जाँच आयुक्त, बिहार के आदेश दिनांक 29.12.2017 (ज्ञापांक–94 दिनांक 24.01.2018) द्वारा प्रधान सचिव–सह–अपर विभागीय जाँच आयुक्त, श्रम संसाधन विभाग, बिहार, पटना को जाँच पदाधिकारी नियुक्त किया गया। प्रधान सचिव, श्रम संसाधन विभाग–सह–अपर विभागीय जाँच आयुक्त, बिहार, पटना के पत्रांक–1761 दिनांक 29.08.2018 द्वारा जाँच प्रतिवेदन उपलब्ध कराया गया, जिसमें श्री ओझा के विरूद्ध गठित तीनों आरोपों को अप्रमाणित पाया गया।

जाँच प्रतिवेदन के समीक्षोपरांत श्री ओझा के विरूद्ध गठित आरोप संख्या–2 एवं 3 पर अग्रतर जाँच कराने का निर्णय लिया गया एवं इस निमित विभागीय पत्रांक–3202 दिनांक 11.09.2019 द्वारा मुख्य जाँच आयुक्त, बिहार से अनुरोध किया गया।

मुख्य जाँच आयुक्त, बिहार के पत्रांक–448 दिनांक 18.06.2021 द्वारा श्री अवधेश कुमार ओझा, बि.व.से., तत्कालीन वन प्रमंडल पदाधिकारी, शोध प्रशिक्षण एवं जन सम्पर्क प्रमंडल, पटना सम्प्रति वन प्रमंडल पदाधिकारी, नवादा के विरूद्ध संचालित विभागीय कार्यवाही संख्या–43/17 में जाँच प्रतिवेदन उपलब्ध कराया गया है जिसमें आरोप संख्या–02 एवं 03 को पुनः अप्रमाणित पाया गया। इस प्रकार श्री ओझा के विरूद्ध गठित तीनों आरोपों को अप्रमाणित पाया गया है।

मुख्य जाँच आयुक्त, बिहार, पटना से प्राप्त जाँच प्रतिवेदन के सम्यक समीक्षोपरांत जाँच प्रतिवेदन से सहमत होते हुए श्री अवधेश कुमार ओझा, बि.व.से., तत्कालीन वन प्रमंडल पदाधिकारी, शोध प्रशिक्षण एवं जन सम्पर्क प्रमंडल, पटना सम्प्रति वन प्रमंडल पदाधिकारी, नवादा के विरूद्ध गठित तीनों आरोपों से उन्हें मुक्त करते हुए इस विभागीय कार्यवाही का निस्तार किया जाता है।

बिहार–राज्यपाल के आदेश से,
सुबोध कुमार चौधरी, संयुक्त सचिव।

गृह विभाग
(विशेष शाखा)

आदेश
16 जुलाई 2021

सं० एल/एच०जी०–14–07/2020–**4184**/सी०––श्री पवन कुमार सिंह, सेवानिवृत वरीय जिला, बिहार गृह रक्षा वाहिनी, दरभंगा के दिनांक 31.07.2020 के अपराह्न में सेवानिवृति के फलस्वरूप वित्त विभाग, बिहार, पटना के पत्रांक–1829 वि०(2), दिनांक 07.04.2005 के आलोक में वित्त (वै०दा०नि०को०) विभाग, बिहार, पटना के ज्ञापांक–413(23), दिनांक 16.03.2021 द्वारा संसूचित अवकाश आदेयता के आधार पर 276 (दो सौ छिहत्तर) दिनों के अव्यवहृत उपार्जित अवकाश के समतुल्य राशि के भुगतान की स्वीकृति प्रदान की जाती है।

2. इस आदेश में अपर मुख्य सचिव का अनुमोदन प्राप्त है।

आदेश से,
अनिमेश पाण्डेय, संयुक्त सचिव।

ग्रामीण विकास विभाग

अधिसूचनाएं
4 अगस्त 2021

सं0 ग्रा0वि0-14(को0)मधे0-04/2014-512501--श्री कुंदन कुमार, तत्कालीन प्रखंड विकास पदाधिकारी, उदाकिशुनगंज, मधेपुरा, सम्प्रति प्रखंड विकास पदाधिकारी, डंडारी, बेगुसराय के विरूद्ध प्रशिक्षण से गायब रहने का आरोपों पर जिला पदाधिकारी, मधेपुरा के पत्रांक-893-2 दिनांक 19.09.2014 द्वारा आरोप पत्र प्राप्त है।

उक्त प्रतिवेदित आरोपों पर श्री कुंदन कुमार से स्पष्टीकरण प्राप्त किया गया। श्री कुमार के द्वारा स्पष्ट किया गया है कि जिला पदाधिकारी, मधेपुरा के द्वारा परीक्ष्यमान ग्रामीण विकास पदाधिकारियों के लिये विभिन्न स्तरीय प्रशिक्षण कार्यक्रम निर्धारित किया गया था। जहां तक 13.06.2013 से पूर्व की अवधि में अनुपस्थित रहने का प्रश्न है। इस संबंध में स्वतंत्र प्रभार उदाकिशुनगंज से विरमित होने के पूर्व अनुमंडल प्रशिक्षण हेतु जिला पदाधिकारी, मधेपुरा से अनुरोध किया गया था । परंतु जिला पदाधिकारी के अवकाश पर जाने के कारण अनुमंडल पदाधिकारी (सदर) मधेपुरा से मिलकर स्थिति से अवगत कराई गई एवं जिला पदाधिकारी को मार्गदर्शन हेतु मैसेज भी किया गया । इसी उधेड़बुन के कारण प्रशिक्षण की तिथि को योगदान नहीं किया गया।

जिला पदाधिकारी से प्रतिवेदित आरोप एवं स्पष्टीकरण के समीक्षोपरांत यह पाया गया कि श्री कुमार का स्पष्टीकरण भ्रामक एवं तथ्यहीन है, उनका आचरण प्रशिक्षु पदाधिकारी के प्रतिकूल है एवं उच्चाधिकारी के आदेश की अवहेलना है। इनका स्पष्टीकरण स्वीकार योग्य नहीं है ।

अतः सम्यक विचारोपरांत श्री कुंदन कुमार, तत्कालीन प्रखंड विकास पदाधिकारी, उदाकिशुनगंज, मधेपुरा, सम्प्रति प्रखंड विकास पदाधिकारी, डंडारी, बेगुसराय को असंचयात्मक प्रभाव से ''एक वेतन वृद्धि अवरूद्ध करने तथा निदंन का दंड'' अधिरोपित किया जाता है।

आदेश दिया जाता है कि श्री कुंदन कुमार के चारित्री पुस्तिका में इस दंड की प्रविष्टि की जाय।

उक्त आदेश पर सक्षम प्राधिकार का अनुमोदन प्राप्त है।

आदेशः-आदेश दिया जाता है कि अधिसूचना की प्रति सभी संबंधितों को सूचनार्थ एवं आवश्यक **कार्रवाई हेतु भेज दी जाय ।**

बिहार-राज्यपाल के आदेश से,
बालामुरूगन डी0, सचिव।

---

4 अगस्त 2021

सं0 ग्रा0वि0-14(मुं0) लखी0-01/2020-513096--श्री नीरज कुमार रंजन, प्रखण्ड विकास पदाधिकारी, लखीसराय, के विरूद्ध जिला पदाधिकारी, लखीसराय के पत्रांक-468 दिनांक 28.04.2020 द्वारा आरोप पत्र प्राप्त हुआ। आरोप पत्र में सदर प्रखंड लखीसराय के ग्राम पंचायत अमहरा की योजना संख्या 5/2017-18 ग्राम बमनगाँव में मृत्युंजय सिंह के घर से पी0एन0बी0 बैंक तक पी0सी0सी व नाली निर्माण का अनुश्रवण इकाई के अध्यक्ष होने के नाते श्री नीरज कुमार रंजन, प्रखण्ड विकास पदाधिकारी, लखीसराय द्वारा विभागीय निदेश की अवहेलना करने, जिला लोक शिकायत निवारण पदाधिकारी के यहां सुनवाई में अनुपस्थित रहने एवं उनके समक्ष अभिलेख जांच हेतु उपस्थापित नहीं करने तथा योजना का कार्य प्राक्कलन के अनुरूप नहीं होने का आरोप संधारित है।

उक्त आरोप पत्र में वर्णित आरोपों पर कार्यालय प्रखण्ड विकास पदाधिकारी, लखीसराय के पत्रांक-434 दिनांक 13.03.2021 द्वारा श्री रंजन का स्पष्टीकरण प्राप्त हुआ। स्पष्टीकरण में उनके द्वारा स्पष्ट किया गया है कि वे वरीय पदाधिकारी के आदेश का अनुपालन ससमय करते हैं। वे जिला लोक शिकायत निवारण पदाधिकारी के समक्ष उपस्थित होते हैं तथा दिनांक 31.07.2019 को वाद की सुनवाई में अपरिहार्य कारण से उपस्थित नहीं हुए जिसकी सूचना लोक शिकायत निवारण पदाधिकारी, लखीसराय को दूरभाष पर दी गई। परिवाद सात निश्चय योजना से संबंधित था। अतः संचिका उपस्थापित करने हेतु प्रखंड पंचायती राज पदाधिकारी से पत्राचार किया गया। अपीलीय प्राधिकार का पत्र प्राप्त नहीं होने के कारण वे उनके समक्ष उपस्थित नहीं हुए। उनके संज्ञान में मामला आने के बाद उनके द्वारा विवाद खत्म करने का सकारात्मक प्रयास किया गया। किन्तु श्री रंजन द्वारा अपने कथन के समर्थन में किसी तरह का ठोस साक्ष्य संलग्न नहीं किया गया है।

विभाग द्वारा श्री रंजन के विरूद्ध आरोप एवं स्पष्टीकरण की समीक्षा की गयी। समीक्षोपरान्त यह पाया गया कि नीरज कुमार रंजन का स्पष्टीकरण ठोस साक्ष्यों पर आधारित नहीं है। इनके द्वारा कर्तव्य के निर्वहन में चूक हुई है तथा विभागीय निदेशों की अवहेलना किया गया है।

सम्यक विचारोपरान्त श्री नीरज कुमार रंजन, प्रखण्ड विकास पदाधिकारी, लखीसराय द्वारा उच्चाधिकारी के आदेश की अवहेलना एवं सरकारी सेवक आचार नियमावली के प्रतिकूल कार्य करने के लिए इनके विरूद्ध ''चेतावनी'' का दंड अधिरोपित किया जाता है।

उक्त आदेश दिया जाता है कि प्रविष्टि श्री नीरज कुमार रंजन के सेवापुस्त में की जाय आदेश पर सक्षम प्राधिकार का अनुमोदन प्राप्त है।

बिहार-राज्यपाल के आदेश से,
बालामुरूगन डी0, सचिव।

निगरानी विभाग
सूचना भवन, पटना

अधिसूचना
9 अगस्त 2021

सं0 नि०वि०स्था०—44/2016—3893——लोक स्वास्थ्य अभियन्त्रण विभाग, बिहार, पटना की अधिसूचना संख्या—296 दिनांक 29.06.2021 द्वारा श्री केशव कुमार लाल, कार्यपालक अभियंता (असैनिक) लोक स्वास्थ्य प्रमण्डल, दरभंगा को स्थानान्तरण

करते हुए अगले आदेश तक इनकी सेवा कार्यपालक अभियंता के पद पर पदस्थापन हेतु निगरानी विभाग को सौंपी गयी है। तद्नुसार दिनांक 30.06.2021 को पूर्वाहन में श्री लाल द्वारा योगदान समर्पित किया गया है।

2. उक्त के आलोक में दिनांक 30.06.2021 के पूर्वाह्न से श्री केशव कुमार लाल का योगदान स्वीकृत करते हुए निगरानी विभाग के अधीन तकनीकी परीक्षक कोषांग में कार्यपालक अभियंता के पद पर पदस्थापित किया जाता है।

3. इसमें मुख्य (निगरानी) मंत्री का आदेश प्राप्त है।

बिहार–राज्यपाल के आदेश से,
मो० जहाँगीर आलम, उप–सचिव।

अधीक्षक, सचिवालय मुद्रणालय
बिहार, पटना द्वारा प्रकाशित एवं मुद्रित।
बिहार गजट, 17—571+10-डी०टी०पी०।
Website : http : / /egazette . bih . nic . in

भाग–2

बिहार–राज्यपाल और कार्याध्यक्षों द्वारा निकाले गये विनियम, आदेश, अधिसूचनाएं और नियम आदि।

गृह विभाग
(विशेष शाखा)

शुद्धि–पत्र
4 अगस्त 2021

सं0 एल/एच0जी0–14–07/2020–**4912**––विभागीय आदेश ज्ञापांक–4184, दिनांक 16.07.2021 द्वारा श्री पवन कुमार सिंह, सेवानिवृत वरीय जिला समादेष्टा, बिहार गृह रक्षा वाहिनी, दरभंगा को दिनांक–31.07.2020 के अपराह्न में उनकी सेवानिवृति के उपरांत 276 (दो सौ छिहत्तर) दिनों के अव्यवहृत उपार्जित अवकाश के समतुल्य राशि के भुगतान की स्वीकृति प्रदान की गई है।

2. उक्त आदेश में उल्लिखित श्री पवन कुमार सिंह, सेवानिवृत वरीय जिला के स्थान पर श्री पवन कुमार सिंह, सेवानिवृत वरीय जिला समादेष्टा पढ़ा जाए।

3. श्री पवन कुमार सिंह, सेवानिवृत वरीय जिला समादेष्टा, बिहार गृह रक्षा वाहिनी, दरभंगा को स्वीकृत अव्यवहृत उपार्जित अवकाश के समतुल्य राशि के भुगतान की कार्रवाई कोषागार पदाधिकारी, जिला कोषागार, सहरसा के स्थान पर कोषागार पदाधिकारी, जिला कोषागार, दरभंगा के द्वारा की जाएगी।

4. शेष यथावत् रहेगा।

आदेश से,
अनिमेश पाण्डेय, संयुक्त सचिव।

अधीक्षक, सचिवालय मुद्रणालय
बिहार, पटना द्वारा प्रकाशित एवं मुद्रित।
बिहार गजट, 17—571+10-डी0टी0पी0।
Website : http : //egazette . bih . nic . in

भाग–9–ख

निविदा सूचनाएं, परिवहन सूचनाएं, न्यायालय सूचनाएं और सर्वसाधारण सूचनाएं इत्यादि।

सूचना

सं0 749——मैं, इच्छा पाण्डे, पिता–गोपाल पाण्डे, निवासी- ए-61, पुलिस कॉलोनी, अनिसाबाद, पटना - 800002, बिहार शपथ पत्र सं-9507/10.06.2021 द्वारा सूचित करती हूँ कि इच्छा एवं इच्छा पाण्डे दोनो मेरा ही नाम है और एक ही व्यक्ति है। मैं अब से इच्छा पाण्डे के नाम से जानी जाऊँगी।

इच्छा पाण्डे।

No. 749--I, Iksha Pandey, D/O Gopal Pandey, R/O A/61, Police Colony , Anisabad, Patna-800002, Bihar declare that I have changed my name from Iksha to Iksha Pandey vide affidavit no. 9507 dated 10.06.2021. Iksha and Iksha Pandey both are my names and I will be known as Iksha Pandey from today for all future purposes.

Iksha Pandey.

———————

सं0 750—— मैं मनोरमा सिंह, पति–वंशराज सिंह, ग्राम–भलुही, पो.–हरनाथपुर, थाना–मोहनिया, जिला–कैमूर, बिहार शपथपत्र सं. 1547 तिथि 01.07.2021 द्वारा मनोरमा सिंह अब मनोरमा कुमारी के नाम से जानी एवं पहचानी जाऊँगीं।

मनोरमा सिंह।

———————

No. 764--I, Malay Kumar, R/o Danapur Holding No. 220, Vidhi Nagar, Janakpuri Mohallah, East Gola Rd, Patna – 801503 have changed my minor son's name from Kumar Audvit to Audvit Shrivastava vide Affidavit No. 4233 dated 24.03.2021.

Malay Kumar.

———————

No. 777--I, **Santosh Kumar Naugaraiya**, residing at Mangal Talab, Dira Kaliasthan Patna, 800009 wants to inform that in share certificates of some Companies My Surname has been omitted and recorded Santosh kumar but the actual Name of mine is **Santosh Kumar Naugaraiya**. I have been and shall always be known by this Name only. Affidavit No. 8704 Date- 29.06.21.

Santosh Kumar Naugaraiya.

———————

No. 778—I Abdul Badi S/o. Late Abdus Sami R/o Mirshikar Tola, P.O. – Gulzarbagh, P.S.- Alamganj, Distt. Patna, Bihar – 800007 do hereby solemnly affirm and declare that Abdullah Zaid Sadiquipuri is my minor son. Now he will be known, reads & write as Abdullah Jaafari. Aff. No.-8591/26.06.21.

Abdul Badi.

———————

No. 779--I Abdul Badi S/o. Late Abdus Sami R/o Mirshikar Tola, P.O.–Gulzarbagh, P.S.- Alamganj, Distt. Patna, Bihar–800007 do hereby solemnly affirm and declare that Hiba is my minor daughter. Now she will be known, reads and write as Hiba Jaafari. Aff. No.-8592/26.06.21.

Abdul Badi.

सं0 780, दिनांक 9 अगस्त 2021
बिहार भू–सम्पदा विनियामक प्राधिकरण (सामान्य) विनियमावली, 2021

अधिसूचना
5 अगस्त 2021

सं0 01––भू–संपदा (विनियमन और विकास) अधिनियम, 2016 की धारा 85 के अधीन प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुये बिहार भू–संपदा विनियामक प्राधिकार एतदद्वारा राज्य सरकार के अनुमोदन से, निम्नलिखित विनियमावली बनाता है:–

1. **संक्षिप्त नाम विस्तार प्रारम्भ और लागू होना**–(1) यह विनियमावली **बिहार भू–सम्पदा विनियामक प्राधिकरण (सामान्य) विनियमावली, 2021** कही जा सकेगी।

(2) इसका विस्तार सम्पूर्ण बिहार राज्य में होगा।

(3) यह विनियमावली राजपत्र में प्रकाशन की तिथि से प्रवृत्त होगी।

(4) यह विनियमावली बिहार राज्य में भू–सम्पदा विनियामक प्राधिकरण की अधिकारिता के अन्तर्गत आने वाले सभी मामलो के संबंध में लागू होगी।

2. **परिभाषाएँ**–(1) इस विनियमावली में, जबतक कि संदर्भ में अन्यथा अपेक्षित न हो–

(i) ''अधिनियम'' से अभिप्रेत है भू–संपदा (विनियमन और विकास) अधिनियम, 2016 (समय समय पर यथा संशोधित)

(ii) ''आवेदन'' से अभिप्रेत है अधिनियम तथा उसके अधीन बने नियमों तथा विनियमों के प्रावधानों के अनुपालन में समर्पित करने हेतु अपेक्षित सभी ब्योरे तथा सभी दस्तावेजों के साथ धारा 4 या, धारा 9 के अधीन प्राधिकरण को दिया गया यथास्थिति, पूर्ण, शुद्ध एवं संपूर्ण और हार्ड कॉपी भी।

(iii) ''न्यायनिर्णयन' से अभिप्रेत है प्राधिकरण अथवा न्याय निर्णयन पदाधिकारी द्वारा इस अधिनियम की धारा 31 सहपठित धारा 71 के अधीन प्राप्त शिकायत पर विनिश्चय पर पहुँचने की प्रक्रिया।

(iv) ''प्राधिकरण' से अभिप्रेत हैबिहार भू–सम्पदा विनियामक प्राधिकरण।

(v) ''अध्यक्ष'' से अभिप्रेत है प्राधिकरण का अध्यक्ष।

(vi) ''सलाहकार'' में शामिल है वह व्यक्ति (जो प्राधिकरण के नियोजन में नही हो)जिसे अधिनियम तथा उसके अधीन बने नियमों एवं विनियमों के अधीन प्राधिकरणद्वारा निपटाए जानेहेतुअपेक्षित किसी मामले में प्राधिकरण की सहायता करने हेतु इस रूप में नियुक्त किया जाय।

(vii) ''फारम'' से अभिप्रेत हैइस विनियमावली में संलग्न फारम।

(viii) ''सदस्य'' से अभिप्रेत है इस अधिनियम की धारा 21 के अधीन नियुक्त प्राधिकरण का सदस्यऔर उसमें अध्यक्ष भी शामिल हैं।

(ix) ''अधिकारी'' से अभिप्रेत है प्राधिकरण का कोई अधिकारी।

(x) ''कार्यवाही'' से अभिप्रेत है और इसमें शामिल है सभी प्रकृति की कार्यवाही, जिन्हे प्राधिकरण, अधिनियम तथा इसके अधीन बने नियमों एवं विनियमों के अधीन कृत्यों के निर्वहन में संचालित करें/ किया जाए।

(xi) ''विनियमावली'' से अभिप्रेत है बिहार भू–संपदा विनियामक प्राधिकरण (सामान्य) विनियमावली, 2021(समय समय पर यथासंशोधित)

(xii) ''नियम'' से अभिप्रेत है इस अधिनियम के अधीन बिहार सरकार द्वारा बनायी गयी बिहार भू–संपदा (विनियमन और विकास) नियमावली, 2017 (समय समय पर यथासंशोधित)।

(xiii) ''सचिव'' से अभिप्रेत है प्राधिकरण का सचिव।

(xiv) ''धारा'' से अभिप्रेत है भू–संपदा (विनियमन और विकास) अधिनियम, 2016 की धारा।

(2) इस विनियमावली में प्रयुक्त किंतु अपरिभाषित शब्दों अथवा अभिव्यक्तियों के वही अर्थ होगें जो अधिनियम या नियमावली में क्रमशः उनके प्रति समनुदेशित किए गए हों।

3. **वास्तुविद्, अभियंता और चार्टेड एकाउन्टेंट के प्रमाण–पत्रों का प्रपत्र**–परियोजना वास्तुविद्, परियोजना अभियंता, चार्टेड एकाउन्टेंट के द्वारा अधिनियम की धारा–4(2)(ठ)(घ) के अधीन जारी किए जाने वाले पृथक लेखा से राशि निकाले जाने के लिए प्रमाण पत्र क्रमशः प्रपत्र 1, 2 एवं 3 मे जारी किये जाएगें।

4. **प्लॉटिंग परियोजना के विभिन्न प्रमाणपत्रों के प्रपत्र**–प्लॉटेड परियोजना के लिए अधिनियम की धारा 4(2)(ठ)(घ) के अधीन संधारित किये जाने वाले पृथक लेखा से राशि निकाले जाने के लिए विभिन्न प्रमाण–पत्र प्रपत्र 1, 2 एवं 3 मे प्लॉटेड परियोजना ब्योरा के संबंध में लागू निर्देश करने योग्य उपांतरणों के साथ होगें।

5. **आवेदन का प्रस्तुतीकरण**–(1) इस अधिनियम की धारा 4 और धारा 9 के अधीन प्रस्तुत किये जाने वाले सभी आवेदन हार्ड कॉपी में सभी ब्यौरा के साथ संबंधित दस्तावेजों और नियत फीस के साथ–साथ प्राधिकरण को ऑनलाईन प्रस्तुत किये जायेगें।

(2) जो इस अधिनियम, नियमावली और विनियमावली के प्रावधानों के अनुसार और आगे प्राधिकरण द्वारा यथापेक्षित यथा स्थिति प्रोमोटर अथवा एजेंट जो भी हो, 7(सात) कार्य दिवसों की कालावधि के भीतर पूर्ण रूप

से भरे आवेदन की हार्ड कॉपी प्रस्तुत करने में विफल रहता है अथवा रजिस्ट्रीकरण की अन्य अपेक्षा को पूरा करने में विफल रहता है, उसे उसके बाद प्रतिदिन 1000/–(एक हजार रू) प्रतिदिन बिलंब प्रोसेसिंग चार्ज का भुगतान माह के अंत तक देना होगा, जिसके बाद प्राधिकरण आगे विलम्ब से प्रस्तुतीकरण के लिए फीस की मात्रा विनिश्चत करेगा।

(3) यथास्थिति, प्रमोटर अथवा एजेंट का अपूर्ण आवेदन जो इस अधिनियम, नियमावली और विनियमावली के प्रावधानों के अनुसार न हो, लिखित/ईमेल से अनुपालन हेतु स्मार देने के 14 दिन बाद अस्वीकृत करने योग्य होगा।

(4) उपर्युक्त (3) के आलोक में यदि आवेदन अस्वीकृत किया जाता है तो प्रमोटर या एजेन्ट जैसा भी हो, को शुल्क के साथ पुनः आवेदन देना होगा, जैसे कि यह नया आवेदन है।

6. **प्रमोटर द्वारा वेबसाईट और प्रोजेक्ट साईट पर अतिरिक्त प्रकटीकरण**–(1) प्रमोटर अपनी भू–संपदा के प्रस्तावित परियोजना के सभी विवरणों के अतिरिक्त अपने और प्राधिकार के वेबसाईट पर अधिनियम की धारा 11 की उपधारा (1) और बिहार भू–संपदा (विनियमन और विकास) नियमावली, 2017 के नियम 3 और 4 के अधीन यथापेक्षित (इस अधिनियम की धारा 4(2) के तृतीय परंतुक के अनुसार जारी) प्रपत्र–5 में व्यवसायिक चार्टेड एकाउटेंट, जो प्रमोटर के उद्यम का वैधानिक लेखा परीक्षक न हो, सम्यक रूप से अभिप्रमाणित एवं हस्ताक्षरित लेखा परीक्षित लेखा विवरणी अपलोड करेगा।

परंतु भू–संपदा परियोजना के सभी प्रमोटर/डेवलपर अपनी भू–संपदा परियोजना का लेखा परीक्षित वार्षिक–लेखा यथा तुलन–पत्र, लाभ–हानि विवरणी, नकदी प्रवाह विवरणी, खाते पर टिप्पणी और सभी अनुसूचियों के साथ वैधानिक लेखा परीक्षकों द्वारा लेखा परीक्षित प्रतिवेदन और व्यक्तिगत/फर्म/सहकारी समिति/कम्पनी के निदेशक, जो भी हो, के प्रतिवेदन को आगामी विशेष वर्ष के 15 अक्टूबर तक जमा करेगा।

परंतु और कि भू–संपदा परियोजना के सभी प्रमोटर/डेवलपर, प्रमोटर कंपनी/फर्म के निदेशक मंडल में हुए किसी भी परिवर्तन (जुड़ाव/विलोपन) की सूचना घटना के एक माह में और/या प्रत्येक वर्ष 1 जनवरी और 1जुलाई को देगें।

(2) इसके अतिरिक्त, सभी प्रमोटर/डेवलपर अपनी किसी अन्य भू–संपदा परियोजनामें अपने (स्वयं, पत्नी, आश्रित बच्चों) के नाम से जुड़े हितों का विस्तृत विवरण प्रत्येक वर्ष के 1 जनवरी को देगें।

(3) ऐसी दशा में जहाँ विकास करार या इसी प्रकार का करार प्रमोटर्स और एवं भूस्वामी/भूस्वामियों के बीच हो, अन्यथा करार में वर्णित हो वहाँ भूस्वामी इस अधिनियम के अंतर्गत एक आवंटी माना जायेगा जैसा की वह अपने जमीन के एवज में अपार्टमेंट/फ्लैट प्राप्त करता है। ऐसे सभी मामलो में परियोजना के प्रमोटर भू–संपदा (विनियमन और विकास) अधिनियम, 2016 एवं इसके अतंर्गत बनाये गये नियमावली के अंतर्गत सभी बाध्यताओं की पूर्ति कराये जाने का जिम्मेवार माना जायेगा।

स्पष्टीकरण 1 : पृथक खाते से राशि की निकासी के प्रयोजनार्थ निबंधित भू–संपदा परियोजना की प्रगति को प्रमाणित करने वाले चार्टड एकाउन्टेंट की उस चार्टड एकाउन्टेंट से जो प्रमोटर का वैधानिक लेखापरीक्षक ही से भिन्न होना चाहिए।

स्पष्टीकरण 2 : यदि व्यवसाय में लगा चार्टड एकाउन्टेंट, जो वैधानिक लेखा परीक्षक न हो, निर्गत फारम–5 प्रोजेक्ट वास्तुविद्, अभियंता या चार्टड एकाउन्टेंट द्वारा निर्गत कोई प्रमाण–पत्र, यह प्रकट करता है कि अभिहित बैंक खाते से निधि की निकासी के लिए मिथ्या या अशुद्व जानकारी दी गई है और किसी विशिष्ट प्रोजेक्ट के लिए संग्रहित राशि का उपयोग उस प्रोजेक्ट के लिए नहीं किया गया है और निकासी, इस प्रोजेक्ट की पूर्णता की प्रतिशत के अनुपालन में नही की गई है तो प्राधिकारण, अधिनियम और नियमावली में यथा अनुध्यात दांडिक कार्रवाई करने के अतिरिक्त, स्वविवेक से भी वास्तुविद्, अभियंता या चार्टड एकाउन्टेंट से संबंधित व्यावसायिक विनियामक निकाय के समक्ष इस विषय को, उस व्यवसायी की सदस्यता के निबंधन के रद्दीकरण सहित, उनके विरूद्ध आवश्यक दण्डात्मक कार्रवाई करने के लिए कदम उठाएगा।

7. **अन्य फीस**–(1) यथास्थिति, प्रमोटर या एजेंट का प्राधिकरण द्वारा सामान्य या विशेष आदेश द्वारा यथा विनिश्चित दर से प्राधिकरण को निम्नलिखित मामलों के लिए घोषित प्रभार के रूप में देय होगा जो समय–समय पर प्राधिकरण द्वारा उसकी वेबसाईट पर घोषित की जाएः–

(i) वेबसाईट का आवधिक अद्यतनीकरण के लिये,

(ii) प्राधिकार के समक्ष में निबंधन करने हेतु आवेदन फीस जिसमें विलम्ब से प्रस्तुत करने, निबंधन के पहले या बाद में निबंधन के लिए आवेदन में किए जाने वाले अपेक्षित परिर्वतनों की अनुमति के लिए फीस शामिल होगी,

(iii) अधिनियम की धारा 6 के अधीन, निबंधन के विस्तार और अधिनियम की धारा 9 के अधीन, निबंधन के नवीनीकरण के लिये आवेदन फीस;

(iv) प्राधिकार द्वारा, समय समय आदेश द्वारा यथा विनिश्चित अन्य मामलों के लिए फीस।

8. **स्वीकृत योजना और अनुमोदित ले–आउट का प्रदर्शन**–प्रमोटर द्वारा सक्षम प्राधिकार से स्वीकृत योजना विनिर्दिष्टियों सहित अनुमोदित ले–आउट प्रोजेक्ट स्थल पर प्रमुखता से प्रदर्शित की जाएगी।

स्पष्टीकरण–1 : प्रोजेक्ट/निर्माण स्थल के ऐसे स्पष्ट दिखने वाले स्थान पर, न्यूनतम 6 फीट X 6 फीट का प्रदर्शन बोर्ड, जिस पर प्रमोटर/डेवलपर्स, भू–स्वामियों, प्रोजेक्ट का नाम और पता, प्रोजेक्ट के आरंभ की तिथि और पूर्ण होने की प्रस्तावित तिथि, भू–संपदा निबंधन संख्या/आवेदन संख्या उल्लिखित होगी, लगाया जाएगा।

9. **प्राधिकार का कार्यालय, कार्य–समय और बैठक**–(1) प्राधिकरण का मुख्य कार्यालय पटना में होगा। प्राधिकरण, आदेश द्वारा, राज्य के अन्य स्थानों पर अपनी पीठ या अपना कार्यालय स्थापित कर सकेगा।

(2) प्राधिकरण अपनी कार्यवाहियों का संचालन अध्यक्ष द्वारा यथा निदेशित मुख्यालय या किसी अन्य स्थान पर जो उसके अधिकारिता क्षेत्र में हो निश्चित दिन एवं समय परकर सकेगा।

10. प्राधिकार की भाषा—(1) प्राधिकरण की कार्यवाही अंग्रेजी या हिन्दी मे संचारित की जा सकेगी।

(2) प्राधिकरण अपने पूर्ण स्वविवेक से, अंग्रेजी या हिन्दी में दी गई अर्जी स्वीकार कर सकेगा।

(3) प्राधिकरण, समुचित मामलों में, अर्जी तथा उनके साथ संलग्न दस्तावेजों का अंग्रेजी या हिन्दी में अनुवाद का निदेश दे सकेगा।

11. **प्राधिकार की मुहर**—कोई दस्तावेज, जिस पर प्राधिकरण द्वारा प्रमाणीकरण की आवश्यकता है, सचिव, विशेष कार्य पदाधिकारी या इस निमित प्राधिकार द्वारा प्राधिकृत अन्य अधिकारी द्वारा हस्ताक्षरित किया जाएगा और प्राधिकरण की मुहर के अधीन जारी किया जायेगा।

12. प्राधिकार के पदाधिकारी—(1) प्राधिकरण को, विभिन्न कर्त्तव्यों के निर्वहन और कतिपय कृत्यों के अनुपालन हेतु सचिव, विशेष कार्य पदाधिकारी, पदाधिकारियों और अन्य कर्मचारियों को नियुक्त करने की शक्ति होगी। सचिव, विशेष कार्य पदाधिकारी, पदाधिकारियों और अन्य कर्मचारियों की नियुक्ति की शैक्षणिक योग्यता, अनुभव एवं सेवा निर्बधनों और शर्ते उन शर्तो के अध्यधीन होंगी जो प्राधिकार द्वारा अवधारित की जाए।

(2) प्राधिकरण, अपने कृत्यों के निर्वहन में सहायता के लिए सलाहकारों, अधिवक्ताओं और विशेषज्ञों को नियुक्त, नियोजित, पैनलबद्ध कर सकेगा या रख सकेगा।

(3) सचिव, प्राधिकरण के प्रधान कार्यकारी अधिकारी होगें और प्राधिकरण के नियंत्रण के अधीन अपने शक्तियों का प्रयोग और अपने कृत्यों का निर्वहन करेगें ।

(4) विशिष्टितः और इस विनियम के उप विनियम (3) की व्यापकता पर प्रतिकूल प्रभाव डाले बिना सचिव को निम्नलिखित कर्तव्यों का निर्वहन करने की शक्ति होगी, यथाः—

(i) वह प्राधिकरण के सभी अभिलेखो एवं मुहर का अभिरक्षक होगा;

(ii) वह प्राधिकरण को संबोधित सभी दस्तावेजो को अन्य बातों के साथ—साथ, सभी शिकायतों, आवेदनों अथवा निर्देशो जो, प्राधिकरण से संबंधित हो, को प्राप्त करेगा या प्राप्त करवायेगा।

(iii) वह शिकायतो, आवेदनों अथवा निर्देशो सहित अन्यबातों के साथ—साथ दस्तावेजो की संवीक्षा करेगा ओर उसपर स्पष्टीकरण अथवा सुधार की मांग करने तथा उन दस्तावेजों को स्वीकार या नामंजूर करने संबंधी समुचित निदेश जारी करने का हकदार होगा।

(vi) वह प्राधिकार के समक्ष दाखिल किए गए मामलों में विभिन्न पक्षकारों द्वारा प्रस्तुत किए गए अभिवचनों का संक्षिप्त विवरण तथा सारांश तैयार करेगा अथवा तैयार करवायेगा।

(v) वह अधिनियम एवं नियमावली के अधीन वैसे कृत्यों को क्रियान्वित करेगा जो प्राधिकार द्वारा, सामान्य या विशेष आदेश द्वारा, उसे प्रत्यायोजित किए जायें।

(vi) वह, अध्यक्ष द्वारा यथानिदेशित, प्राधिकारी द्वारा प्रयोग की जाने वाली शक्तियों से संबंधित कार्यवाहियों में प्राधिकार की सहायता करेगा।

(vii) वह प्राधिकरण की बैठकों की सूचना उपलब्ध करेगा, बैठकों के लिए कार्यावली तैयार करेगा तथा कार्यवाहियों का कार्यवृत्त अभिलिखित करेगा।

(viii) वह प्राधिकार द्वारा पारित आदेशों को अभिप्रमाणित करेगा।

(xi) वह जहाँ तक संभव हो, प्राधिकरण द्वारा पारित आदेशों के अनुपालन का अनुश्रवण करेगा एवं किसी तरह के गैर अनुपालन को प्राधिकरण के संज्ञान में लायेगा।

(x) जैसा की प्राधिकरण द्वारा आदेश दिया जाय उसे राज्य सरकार या स्थानीय प्राधिकारों अथवा अन्य कार्यालयों, कंपनियो, एवं फर्मों या किसी अन्य पक्षकार से वैसी जानकारी एवं अभिलेख, प्रतिवेदन या दस्तावेजों इत्यादि को प्राप्त करने का अधिकार होगा, जो अधिनियम एवं नियमावली के अधीन प्राधिकरण को कृत्यों के दक्षतापूर्ण निर्वहन के प्रयोजनार्थ आवश्यक समझा जाय और इसे प्राधिकरण के समक्ष **रखेगा।**

(5) सचिव की अनुपस्थिति में, इस निमित्त अध्यक्ष द्वारा अभिहित प्राधिकरण का कोई अधिकारी सचिव की शक्तियों का प्रयोग एवं कृत्यों को निर्वहन करेगा।

(6) अध्यक्ष को अधिनियम की धारा 25 और नियम 21 के अधीन निहित शक्तियों के अतिरिक्त, हर समय किसी हितबद्व या प्रभावित पक्षकार द्वारा किए गए आवेदन पर अथवा स्वतः प्राधिकरण के किसी अधिकारी द्वारा निर्गत आदेश अथवा की गई कार्रवाई का पुनर्विलोकन करने,रद्द करने, पुनरीक्षित करने, संशोधित करने, बदल देने अथवा अन्यथा परिवर्तित करने की शक्ति होगी, यदि समुचित समझा जाय।

(7) सदस्य, अध्यक्ष के लिखित अनुमोदन से, इस विनियमावली द्वारा अपेक्षित अथवा सचिव द्वारा अन्यथा किए जाने वाले किसी कृत्य को प्राधिकरण के किसी अधिकारी को प्रत्यायोजित कर सकेगें।

13. **प्राधिकार की बैठकें।**—(1) प्राधिकार की न्याय निर्णयन कार्यवाहियों के सिवाय इस विनियम के निम्नवत उप विनियम (1), (2), (3), (4), (5), (6), (7), (8) एवं (9) में अतंर्विष्ट प्रावधान प्राधिकरण की बैठको पर लागू होंगे।

(2) प्राधिकार की बैठकों के लिए कोरम दो होगा।

(3) यदि सम्यक रूप से आयोजित प्राधिकार की किसी बैठक में कोरम पूरा न हो तो बैठक प्राधिकरण द्वारा यथा निर्णीत अगली उपयुक्त तिथि, समय और स्थान के लिए स्थगित हो जाएगी।

(4) अध्यक्ष, बैठक की अध्यक्षता तथा कार्य–व्यवहार का संचालन करेंगें। पटना के बाहर की पीठ को सदस्य विडियों–कॉफ्रेसिंग के माध्यम से बैठक में भाग ले सकेगें। यदि अध्यक्ष किसी कारण से बैठक में उपस्थित रहने में असमर्थ हो अथवा जहॉ अध्यक्ष न हों वहॉ उपस्थित वरीयतम सदस्य बैठक की अध्यक्षता करेंगें।

(5) सभी प्रश्न, जो प्राधिकार की किसी बैठक के समक्ष आएंगें उपस्थित सदस्यों द्वारा मतदान के बहुमत से विनिश्चित किए जाएंगें। मत बराबर होने की दशा में, अध्यक्ष अथवा उनकी अनुपस्थिति में, अध्यक्षता करने वाले सदस्य को द्वितीय मत अथवा निर्णायक मत का अधिकार होगा।

(6) इस विनियमावली में अन्यथा उपबंधित के सिवाय, प्रत्येक सदस्य को एक मत का अधिकार होगा।

(7) सचिव अथवा उनकी अनुपस्थिति में, अध्यक्ष द्वारा पदाभिहित प्राधिकरण का कोई अधिकारी बैठकों के कार्यवृत्त का अभिलिखित करेगा तथा एक रजिस्टर संधारित करेगा जिसमें अन्य बातो के साथ, सदस्यों तथा बैठक में आमंत्रित उपस्थित व्यक्तियों के नाम तथा पदनाम, कार्यवाहियों का एक अभिलेख तथा असहमति टिप्पणी, यदि कोई हो, अंतर्विष्ट होगी। असहमति की दशा में, कार्यवृत्त का प्रारूप, यथाव्यवहार्य शीघ्र, अध्यक्ष को भेज दी जाएगी।

(8) प्राधिकारी की बैठक में लिए गए निर्णय कार्यवृत्त में स्पष्ट और संक्षिप्त रूप से सकारण अभिलिखित किए जाएंगें और अनुमोदित कार्यवृत्त की एक प्रति सभी सदस्यों को भेज दी जाएगी। यदि कार्यवृत्त में किसी आमंत्रित सदस्य द्वारा किया गया कोई अभिकथन/सलाह अभिलिखित हो तो कार्यवृत्त की एक प्रति उस आमंत्रित सदस्य को भेज दी जाएगी।

14. प्राधिकार के समक्ष न्याय–निर्णयन कार्यवाही।– इस अधिनियम की धारा 12, 14, 18 और 19 के अधीन आनेवाले विषयों से अन्यथा प्राधिकरण में दाखिल शिकायतों के संबंध में प्राधिकरण न्याय निर्णयन हेतु सामान्य या विर्निदष्टि आदेश द्वारा निदेश दे सकेगें कि विनिर्दिष्ट मामलों अथवा मुद्दों की सुनवाई तथा उसका न्याय निर्णय प्राधिकरण के किसी सदस्य द्वारा किया जाए।

15. प्राधिकृत प्रतिनिधि।–कोई भी व्यक्ति, जो प्राधिकरण के समक्ष किसी कार्यवाही का पक्षकार हो, स्वयं उपस्थित हो सकेगा अथवा अधिनियम की धारा 56 में यथाविनिर्दिष्ट किसी अन्य व्यक्ति को प्राधिकार के समक्ष,अपने मामले में उपस्थित होने तथा इस प्रयोजनार्थ सभी या किसी कार्य को करने हेतु प्राधिकृत कर सकेगा।

परंतु प्राधिकरण के समक्ष किसी कार्यवाही में किसी व्यक्ति की ओर से उपस्थित होने वाला व्यक्ति प्राधिकृत करने का ज्ञापन/वकालतनामा फार्म 6 मे दाखिल करेगा।

परंतु और कि प्राधिकार समय–समय परनिर्बधनों और शर्तो को विनिश्चित करेगा, जिसके अधीन रहते हुए पक्षकार अपनी ओर से बहस करने हेतु प्रतिनिधियों को प्राधिकृत करेगा।

ऐसे मामलों में प्राधिकरण को ऐसे सभी व्यक्तियों को सम्मन करने तथा उपस्थिति लागू करने का अधिकार होगा जो भू–संपदा परियोजना से संबंधित हो, के साथ साथ ऋणदाता तथा जहॉ संयुक्त उपक्रम या विकास एकरानामा किया गया हो, की दशा में भू–स्वामी और इसमें वैसे व्यक्ति, जिन्होनें सक्षम प्राधिकारी के रूप में भू–संपदा परियोजना की अनुमति दी है, शामिल है।

16. प्राधिकार के आदेश।–(1) प्राधिकरण, अध्यक्ष या सदस्य कार्यवाहियों की सुनवाई कर रहें हो, उन कार्यवाहियों में आदेश पारित करेंगें तथा उन कार्यवाहियों के, अध्यक्ष, सदस्य या प्राधिकरण जिन्होंने भी कार्यवाही की सुनवाई की है , उन आदेशो को हस्ताक्षरित करेंगे।

(2) सभी आदेश और निर्णय सचिव या अध्यक्ष द्वारा इस निमित सशक्त अधिकारी के हस्ताक्षर से प्रमाणित किये जाएगें और उस पर प्राधिकरण का मुहर होगा और उसे प्राधिकरण के वेबसाईट पर अपलोड किया जाएगा।

17. प्राधिकार के अभिलेख।–(1) प्राधिकार, दाखिल की गई शिकायतों, संचालित सुनवाईयों का ब्यौरा, समय–समय पर जारी आदेश/दस्तावेज सहित अन्य बातों के साथ, अभिलेखों का इंडेक्स डाटाबेस संधारित करेगा।

(2) प्राधिकरण, उन निर्बधनों और शर्तो के अध्यधीन, जो प्राधिकार समुचित समझे, किसी व्यक्ति के द्वारा फारम 7 में आवेदन दिये जाने पर, प्राधिकार के पास उपलब्ध आदेशों, दस्तावेजो तथा कागजातों की प्रमाणित प्रतियाँ प्राधिकरण द्वारा यथा निर्धारित अपेक्षित फीस, के भुगतान पर तथा प्राधिकरण द्वारा निर्देशित शर्त्तो का अनुपालन करने पर, आपूर्त्ति कर सकेगा। प्राधिकार दस्तावेजों की प्रमाणित प्रतियों की आपूर्ति के लिए प्राप्त अनुरोध को अनुरोध की प्राप्ति से 14 (चौदह) कार्य–दिवस के भीतर सुनिश्चित करने हेतु किसी अधिकारी को पदाभिहित करेगा।

(3) प्राधिकार आदेश द्वारा निदेशित कर सकेगा कि प्राधिकरण द्वारा संधारित कोई जानकारी/दस्तावेज/कागजात/सामग्री गोपनीय या विशेषाधिकार प्राप्त होगी और निरीक्षण के लिए या प्रमाणित प्रतियों की आपूर्ति के लिए उपलब्ध नही होंगी और प्राधिकरण यह भी निदेश दे सकेगा कि ऐसे दस्तावेज, कागजात या सामग्री को, किसी भी तरह उपयोग में नही लाया जाए जब तक की प्राधिकरण द्वारा विनिर्दिष्ट रूप से प्राधिकृत नहीं किया जाए।

(4) प्राधिकार आमजन को, अन्य बातों के साथ–साथ अपने वेबसाईट के माध्यम से लोकहित संबंधी जानकारी पहुँचाने हेतु उपलब्ध करायेगा।

(5) अध्यक्ष सूचना के अधिकार अधिनियम, 2005 के अधीन यथोपबंधित, प्राधिकरण के किसी अधिकारी को सूचना अधिकारी के रूप में तथा उक्त सूचना का अधिकार अधिनियम के अधीन अपीलीय प्राधिकारी के रूप में प्राधिकरण के किसी अन्य अधिकारी को प्रतिनियुक्त कर सकेगा।

18. अंतरिम आदेश, अनुसंधान, निरीक्षण,सूचना संग्रहण आदि।––(1) प्राधिकरण मामले के तथ्यों एवं परिस्थितियों को ध्यान रखते हुए वैसे अंतःकालीन या अंतरिम आदेशों को पारित कर सकेगा जिसे प्राधिकरण किसी कार्यवाही के किसी चरण पर समुचित समझे

(2) प्राधिकरण ऐसा निदेश या आदेश, जैसा वह जानकारी, जाँच, अनुसंधान के संग्रहण के लिए उचित समझे तथा अपनी शक्तियों की व्यापकता पर प्रतिकूल प्रभाव डाले बिना, अन्य बातों के साथ निम्नलिखित सहित, दे सकेगा :–

(क) प्राधिकरण किसी भी समय, सचिव, या किसी एक या एक से अधिक अधिकारियों को या किसी अन्य व्यक्ति को, जिसे प्राधिकरण उचित समझे , अधिनियम और नियमावली के भीतर किसी मामले के संबध में अध्ययन करने, अनुसंधान करने या जानकारी देने हेतु निदेश दे सकेगा।

(ख) प्राधिकरण, उपर्युक्त के प्रयोजनार्थ, ऐसा अन्य निदेश दे सकेगा जिसे उचित समझे तथा उस अवधि को अभिकथित कर सकेगा जिसके भीतर प्रतिवेदन सुपूर्द करना अथवा जानकारी भेजी जानी हो।

(ग) प्राधिकरण किसी व्यक्ति को अपने समक्ष पुस्त, लेखा आदि उपस्थापित करने और इस निमित निदेशित प्राधिकरण के अधिकारी को परीक्षण करने तथा रखे जाने हेतु स्वीकृति दे सकेगा या कोई जानकारी पदाभिहित अधिकारी को देने का निदेश जारी कर सकेगा।

(घ) प्राधिकरण किसी जानकारी, विवरण या दस्तावेजों के संग्रहण के प्रयोजनार्थ ऐसे निदेश जारी कर सकेगा जिन्हे प्राधिकरण अधिनियम तथा नियमावली के अधीन अपने कृत्यों के निर्वहन के संबंध आवश्यक समझे।

(ड़) अगर ऐसा प्राप्त प्रतिवेदन या जानकारी, प्राधिकार को कम या अपर्याप्त प्रतीत हो तो प्राधिकार या सचिव अथवा इस प्रयोजनार्थ प्राधिकृत कोई अधिकारी आगे जाँच–पडताल करने, प्रतिवेदन और जानकारी देने के लिए निदेश दे सकेगा।

(च) प्राधिकरण ऐसे उपस्थापित किए जाने वाले आनुषंगिक, पारिश्रमिक तथा पूरक मामलों को प्राप्त कर सकेगा जिन्हे उपर्युक्त के सबंध में सुसंगत समझे।

(छ) प्राधिकरण उर्पयुक्त के प्रयोजनार्थ पुलिस अथवा ऐसे अन्य प्राधिकारियों की सहायता ले सकेगा जिन्हें आवश्यक तथा समीचीन समझे।

(3) यदि उर्पयुक्त विनियम 18(2) के अनुसार प्राप्त प्रतिवेदन या जानकारी, या उनका अंशकी कार्यवाही में गठित करने के लिए प्रधिकार द्वारा विचार किए जाने हेतु प्रस्तावित हो तो कार्यवाही के पक्षकारों को उस प्रतिवेदन या जानकारी पर आपत्ति दाखिल करने तथा अपना पक्षसमर्पित करने हेतु युक्तियुक्त अवसर दिया जाएगा।

19. गोपनीयता।–(1) मामले की सुनवाई करने वाली पीठ को किसी पक्षकार द्वारा उसको उपलब्ध किया गया कोई दास्तावेज या साक्ष्य जिसके, उस पक्षकार द्वारा गोपनीय प्रकृति होने को दावा किया जा रहा है, और गोपनीय होने के कारण इसे अन्य पक्षकारों के समक्ष उसके प्रकटीकरण को नहीं करने हेतु कहता है तो संक्षिप्त कारण लिखित रूप में अंकित करते हुए पीठ अपने अंतिम निर्णय पर पहुँचेगी।

(2) यदि पीठ का विचार बनता हो कि गोपनीयता का दावा न्यायसंगत है तो पीठ यह निदेश दे सकेगी कि उन पक्षकारों को, जिन्हें पीठ उपयुक्त समझे, उसे उपलब्ध न कराया जाय। फिर भी गोपनीयताका दावा करनेवाला पक्षकार, सार गोपनीय पाए जाने वाले दस्तावेजों का एक गैर–गोपनीय सार उपलब्ध करायेगें, जिसे उद्धृत किया जा सके।

(3) उपर्युक्त के होने पर भी पीठ अपने विनिश्चिय पर पहुँचने में गोपनीय पाए जाने वाले अंतर्वस्तुओं को विचारण में लेने हेतु मुक्त होगी।

20. विनिनिश्चयों, निदेशो तथा आदेशो का पुनर्विलोकन।–(1) प्राधिकरण के किसी निदेश, विनिश्चय या आदेश जिसके विरूध–

(i) कोई अपील नही की गई हो या

(ii) कोई अपील स्वीकार न की गई हो

से व्यथित कोई व्यक्ति, नए और महत्वपूर्ण विषय या साक्ष्य जो सम्यक तत्परता के प्रयोग के बावजूद उसकी जानकारी में नही था या निदेश विनिश्चय या आदेश पारित किए जाने के समय किसी अन्य कारण से उसके द्वारा उपस्थापित नही किया जा सका अथवा अभिलेख पर प्रत्यक्ष गलती या त्रृटिके चलते जो अभिलेख पर स्पष्ट परिलक्षित है जैसा भी हो , निदेश, विनिश्चय या आदेश की तिथि से 45 (पैंतालिस) दिनों के भीतर प्राधिकरण के समक्ष उस आदेश के पुनर्विलोकन हेतु आवेदन कर सकेगा।

(2) ऐसे पुनर्विलोकन के लिए आवेदन उसी रीति से दाखिल की जाएगी जिस रीति से कोई शिकायत इस विनियमावली के अधीन दाखिल की जाती है।

(3) प्राधिकरण में अपने विनिश्चयों, निदेशों एवं आदेशों के पुनर्विलोकन के लिए किसी कार्यवाही के प्रयोजनार्थ वही शक्तियाँ निहित होंगी जो सिविल प्रकिया संहिता, 1908 तथा अधिनियम की धारा 35 की उपधारा (2) के कंडिका (पअ) के अनुसार किसी सिविल न्यायालय में निहित है।

(4) जब प्राधिकरणको यह प्रतीत हो कि पुनर्विलोकन के लिए पर्याप्त आधार नही है तो प्राधिकरण ऐसे पुनर्विलोकन आवेदन को नामंजूर कर देगा।

(5) जब प्राधिकरण की राय हो हालाकिऐसा कोई आवेदन बिना विरोधी पक्षकार या पक्ष को , विनिश्चय या आदेश, जिसके पुनर्विलोकन के लिए आवेदन दिया गया हो, को उपस्थित होने और सुने जाने के लिए पूर्व सूचना के बिना, मंजूर नहीं किया जाएगा।

21. मृत्यु आदि के बाद कार्यवाही का जारी रहना।— (1) जहाँ कार्यवाही में, कार्यवाही के किसी पक्षकार की मृत्यु हो जाती या वह दिवालिया न्यायनिर्णीत हो जाता है या समापन/परिसमापन के अधीन कंपनी की दशा में कार्यवाही यथास्थिति भागीदारों, हित उत्तराधिकारियों, निष्पादक प्रशासक, रिसीवर, समापक अथवा संबंधित पक्षकार के अन्य विधिक प्रतिनिधियों के साथ जारी रहेगी।

(2) प्राधिकरण, अभिलिखित किए जानेवाले कारणों से, किसी कार्यवाही को, समाप्त किया गया समझ सकता है यदि प्राधिकरण हित–उतराधिकारियों को मामले के अभिलेख पर लाने से मुक्त करता है।

(3) यदि कोई व्यक्ति हित–उतराधिकारयों, आदि को अभिलेख पर लाना चाहता है तो इस प्रयोजनार्थ, अभिलेख पर हितउतराधिकारियों को लाए जाने वाली घटना से नब्बे (90) दिनो के भीतर आवेदन दाखिल किया जाएगा। यदि कोई विलंब हो, तो प्राधिकरण पर्याप्त कारणों से इस विलम्ब को माफ कर सकेगा।

22. आदेश एवं निदेश जारी किया जाना।— अधिनियम, नियम एवं विनियम के अधीन रहते हुए, प्राधिकार, समय–समय पर, विनियमों और पालन की जानेवाली प्रकिया, जिसे वह उपर्युक्त समझें, के क्रियान्वयन के संबंध में आदेश एवं निदेश जारी कर सकेगा।

23. प्राधिकरण को अंतर्निहित शक्तियों की व्यावृति।—(1) विनियमावली में कोई बात प्राधिकरण की अंतर्निहित शक्तियाँको सीमित अथवा अन्यथा प्रभावित करने वाली नहीं समझी जाएगी जो न्याय के उद्देश्यों को पूरा करने अथवा प्राधिकरण की प्रक्रिया के दुरूपयोग को रोकने हेतु आदेशित की गई हो।

(2) इस विनियमावली की कोई बात अधिनियम या नियमावली के प्रावधानों के अनुरूप निधारित किसी प्रकिया को सारांश (समरी) प्रकियाओं सहित जो इस विनियमावली के किसी प्रावधानों से असंगत हो यदि प्राधिकरण मामले की विशेष परिस्थितियों या मामलों के वर्ग के आलोक में तथा अभिलिखित करते हुये किसी मामले या मामलो के वर्ग का के लिए आवश्यक या समीचीन समझता है, प्राधिकरण को विवर्जित नहीं करेगी।

(3)इस नियमावली की कोई बात प्राधिकार केा, अधिनियम या नियमावली के अधीन किसी मामले को निपटाने या किसी शक्ति का प्रयोग करने से विवर्जित नहीं करेगी जिसके लिए कोई विनियम नही बनाया गया हो और प्राधिकार उस रीति से जिसे उपर्युक्त समझे ऐसे मामलो का निपटारा, शक्तियों का प्रयोग एवं कृत्यों का निर्वहन कर सकेगा।

24. संशोधन/सुधार करने की सामान्य शक्ति।—प्राधिकरण किसी भी समय और ऐसे निर्बंधनों अन्यथा जो यह उचित समझे, हरजाने के संबंध में अपने समझ दाखिल किसी कार्रवाही में किसी त्रृटि या गलती को (प्राधिकरण द्वारा पारित किसी आदेश में किसी लिपिकीय या गणीतीय गलती सहित) संशोधन कर सकेगा और सभी आवश्यक संशोधन, सुधार कार्यवाही में उत्पन्न होने वाली वास्तविक प्रश्न या मुद्दे को विनिश्चित करने के प्रयोजनार्थ किए जाएंगे।

परंतु यदि प्राधिकरण उत्पन्न होने वाले वास्तविक प्रश्न या मुद्दे को विनिश्चित करने हेतु संशोधन या सुधार करना चाहता है तो प्राधिकार, वास्तविक प्रश्न या मुद्दे से संबंधित ऐसे संशोधन या सुधार से प्रभावित होने वाले पक्षकारों को प्रस्तावित संशोधन या सुधार के संबंध में अभ्यावेदन एवं निवेदन करने का अवसर उपलब्ध करायेगा।

25. कठिनाइयों को दूर करने की शक्ति।— यदि विनियमावली के किसी प्रावधान को प्रभावी करने में कोई कठिनाई उत्पन्न होती है तो प्राधिकरण, सामान्य या विशेष आदेश द्वारा जो अधिनियम या नियमावली के प्रावधानों से असंगत न हो, और जो कठिनाइयों को दूर करने के प्रयोजनार्थ आवश्यक एवं समीचीन हो, उन कठिनाइयों को दूर कर सकेगा।

26. विहित समय का विस्तार ।—अधिनियम या नियमावली के प्रावधानों के अधीन रहते हुए, विनियमों द्वारा अथवा प्राधिकरण के आदेश द्वारा किसी कार्य को करने के लिए विहित समय का विस्तार (चाहे वह पहले समाप्त हो गया या नहीं) पर्याप्त कारणों से प्राधिकरण किसी आदेश द्वारा कर सकेगा।

27. अनुपालन का प्रभाव।—विनियमों की किसी अपेक्षा को पूरा करने में विफलता किसी कार्यवाही को केवल ऐसी विफलता के कारण तबतक अविधिमान्य नहीं करेगी जबतक कि प्राधिकरण का यह विचार न हो कि ऐसी विफलता से न्याय की विफलता हो गई है।

28. खर्च।—उन शर्तो और परिसीमन के अधीन रहते हुए जो प्राधिकरण/पीठ द्वारा निदेशित किया जाय, सभी कार्यवाहियों के खर्च एवं इसे अनुषंगिक खर्च प्राधिकरण/पीठ के विवेक से अवार्ड किए जाएंगें और उपर्युक्त के प्रयोजनार्थ, प्राधिकरण/पीठ को इस खर्च का भुगतान इसके द्वारा किस निधि से और किस हद तक किया जाना है, को विनिश्चत कर सभी आवश्यक निदेश देने की पूर्ण शक्ति होगी।

(2) खर्च का भुगतान आदेश की तिथि साठ (60) दिनों के भीतर अथवा उस समय के भीतर किया जायेगा जो प्राधिकरण/पीठ, आदेश द्वारा, निदेशित करे। यदि कोई पक्षकार अनुज्ञात अवधि के भीतर खर्च के आदेश को अनुपालन करने में विफल होता है तो खर्च अवार्ड करने वाला प्राधिकरण/पीठ आदेश का निष्पादन तुरंत उस रीति से करेगी जिस रीति से किसी सिविल न्यायालय की डिक्री/आदेश का निष्पादन किया जाता है।

29. प्रशासनिक प्रभार एवं मानक शुल्क।—(1) प्राधिकरण, आदेश द्वारा शिकायतकर्ता पक्षकारों, प्रोमोटर्स अथवा भू–संपदा एजेंट अथवा आवंटियों पर दस्तावेजों के निरीक्षण, दस्तावेजों की प्रमाणित प्रतियों, वेबसाईट के अद्यतन, वेबसाईट के डाटाबेस प्रबंधन और संधारण के लिए उद्ग्रहण की जाने वाले मानक फीस नियत कर सकेगा।

30. समितियाँ।—प्राधिकरण, कार्यालय के कार्यप्रणाली को प्रभावी बनाने के लिए एक आंतरिक निगरानी समिति का सृजन करेगा जिसकी अध्यक्षता 15 वर्षो का अनुभव रखने वाले सेवानिवृत्त लोक सेवक/व्यावसायिक द्वारा की जाएगी और तैयार प्रतिवेदन प्राधिकरण की बैठक में प्रस्तुत किया जाएगा।

(2) प्राधिकरण के विनियम 18(2) के अधीन यथावर्णित अनुंसधान संचालन के लिए किसी सेवानिवृत्त लोकसेवक/व्यावसायिक को प्रतिनियुक्त/नियुक्त कर सकेगा।

(3) प्राधिकरण कार्यस्थल पर महिला यौन उत्पीडन (प्रतिबंध, प्रतिषेध और निवारण) अधिनियम, 2013 के अधीन आंतरिक शिकायत समिति सृजित करेगा।

31. **सामान्य सुविधाएँ।–** (1) प्राधिकार विवादी, अधिवक्ताओं एवं प्राधिकार के महिला कर्मचारियो के लिए यथा संभव शिशुगृह (क्रेच) एवं कॉमन रूम की सुविधा उपलब्ध करेगा।

32, **प्राधिकार का सेवा–आचारण।**–इस विनियमावली के अधीन प्राधिकार के किसी आदेश द्वारा यथोपबंधित के सिवाय, बिहार सरकारी सेवा आचरण नियमावली, 1976 समय समय पर यथा संशोधित के नियम प्राधिकरण के सभी कर्मचारियों पर लागू होगी।

आदेश से,
(ह0) अस्पष्ट, अध्यक्ष,
भू–सम्पदा विनियामक प्राधिकरण।

No. 780 dated the 9th August 2021
BIHAR REAL ESTATE REGULATORY AUTHORITY (GENERAL) REGULATIONS, 2021

NOTIFICATION
The 5th August 2021

No. 01---In exercise of the powers conferred under section 85 of the Real Estate (Regulation and Development) Act, 2016, the Bihar Real Estate Regulatory Authority, hereby makes the following Regulations:–

1. Short title, extent, commencement and application.- (1) These Regulations may be called the Bihar Real Estate Regulatory Authority (General) Regulations, 2021

(2) It shall extend to the whole of the State of Bihar.

(3) These Regulations shall come into force on the date of its notification in the Official Gazette.

(4) These Regulations shall apply in relation to all matters falling within the jurisdiction of the Real Estate Regulatory Authority in the State of Bihar.

2. Definitions.- (1) In these Regulations, unless the context otherwise requires:-

(i) "Act" means the Real Estate (Regulation and Development) Act, 2016 (as amended from time to time);

(ii) "Application" means the full, correct and complete application made under sections 4 or 9 of the Act as the case may be, submitted online to the Authority with all the details and all the documents required to be submitted in compliance of the provisions of the Act and Rules and Regulations made therein;

(iii) "Adjudication" means the process of arriving at decisions on complaints received by the Authority or the Adjudicating Officer under section 31 read with section 71 of the Act;

(iv) "Authority" means the Bihar Real Estate Regulatory Authority;

(v) "Chairperson" means the Chairperson of the Authority;

(vi) "Consultant" includes any person (not in the employment of the Authority) who may be appointed on short term basis to assist the Authority on any matter required to be dealt with by the Authority under the Act and the Rules and Regulations made thereunder;

(vii) "Form" means the form and forms appended to these Rules and Regulations;

(viii) "Member" means a member of the Authority appointed under section 21 and includes the Chaiperson;

(ix) "Officer" means an officer of the Authority;

(x) “Proceedings” means and includes proceedings of all nature that the Authority may conduct in the discharge of its functions under the Act and the Rules and Regulations;

(xi) “Regulations” means the Bihar Real Estate Regulatory Authority (General) Regulations, 2021 (as amended from time to time);

(xii) “Rule” means the Bihar Real Estate (Regulation & Development) Rules, 2017 made by the Government of Bihar under the Act, (as amended from time to time);

(xiii) “Secretary” means the Secretary of the Authority;

(xiv) “Section” means the section of the Real Estate (Regulation and Development) Act, 2016.

(2) Words or expressions occurring in these Regulations and not defined herein but defined in the Act or the Rules shall bear the same meanings respectively assigned to them in the Act and the Rules.

3. Formats of Certificates of Architect, Engineer and Chartered Accountant.- The certificates to be issued by the project architect, project engineer, chartered accountant in practice for withdrawal of money from the separate account maintained under section 4(2) (l) (D) shall be in Form 1, 2 and 3 respectively.

4. Formats of Various Certificates in Plotting Project.- In the case of plotted project, the various certificates for withdrawal of money from the separate account maintained under Section 4(2)(l)(D), shall be in Form 1, 2 and 3 with applicable referential modification as to the plotted project details.

5. Submission of Application.- (1) Every application under section 4 and section 9 of the Act shall be submitted online with all the details, relevant documents and stipulated fee to the Authority.

(2) The promoter or agent as the case may be who fails to submit all relevant documents or not complying with other requirement of registration as per the provisions of the Act, Rules and Regulations and as further required by the Authority within a period of seven (7) working days shall be treated as incomplete and would be liable to be rejected. The promoter or agent , as the case may be , pay delay processing charge of Rs.1000/- per day for a maximum period of seven working days to enable further consideration of such applications .

(3) The incomplete application of the promoter or of the agent, as the case maybe which is not as per the provisions of the Act, Rules and Regulations, shall be liable to be rejected after a period of 14 working days from the emailed request for compliance.

(4) In case an application is rejected as per (3) above, the promoter or agent, as the case may be shall be required to make a fresh application to the Authority along with the fee as if it is a new/ fresh application for registration.

6. Additional Disclosures by Promoters on the Website and Project site.- (1) In addition to all the details of the proposed real estate project, to be uploaded by the promoter on his webpage on the website of the Authority, as required under sub-section (1) of Section 11 of the Act and Rule 3 and 4 of the Bihar Real Estate (Regulation and Development) Rules, 2017, the promoter shall upload the audited statement of accounts of projects(s), in Form 5 (issued in accordance with the third proviso to section 4(2) of the Act) duly certified and signed by the chartered accountant in practice who is not the statutory auditor of the promoter’s enterprise:

Provided that all promoters/developers of a real estate project shall submit a copy of the audited annual accounts viz. balance sheet, profit & loss accounts, cash flow statement, notes to the accounts and audit report of the statutory auditors along with all schedules and Director's report of the individual/ /firm/cooperative society/ company as the case may be of a particular financial year by the 15th of October of the succeeding financial year.

Provided further that all promoters/developers of a real estate project shall inform of any changes(addition/deletion) in the Board of Directors of the promoter company/firm within a month of the occurrence and / or 1st January and 1st July of every year and,

(2) In addition, all promoters/developers of a real estate project shall give the details of interest (of self, spouse or dependent children) in any other real estate company/project as on the 1st of January of every calendar year.

(3) In cases where there is a development agreement or such like arrangement between the promoter and the landowner/s, unless otherwise mentioned in the agreement, the landowner would be treated as an allottee under the Act as he is getting apartments in lieu of land . In all such cases the promoters of the project would be responsible for fulfilling all obligations under the RERA Act and Rules made there under.

Explanation 1.- The chartered accountant certifying the progress of the registered real estate project for the purpose of withdrawal of amounts from the separate account should be a “different entity” than the chartered accountant, who is the statutory auditor of the promoter’s enterprise.

Explanation 2.- If the Form No. 5. issued by the chartered accountant in Practice, who is not the statutory auditor, reveals that any certificate issued by the project architect, engineer or the chartered accountant for withdrawal of funds from the designated bank account has false or incorrect information and the amounts collected for a particular project have not been utilized for the project and the withdrawal has not been in compliance with the proportion to the percentage of completion of the project, the Authority, in addition to taking penal actions as contemplated in the Act and the Rules, may in its discretion also take up the matter with the concerned regulatory body of the architect, engineer or chartered accountant, for necessary penal action against the said professionals which may include cancellation of registration of membership for practice.

7. Other Fees.- (1) The promoter or agent as the case may be shall be required to pay to the Authority the charges at the rates as may be determined by general or special order of the Authority and declared on website by the Authority from time to time on the following matters:-

(i) For the periodical updation of website;

(ii) Fee for application to the Authority for project registration including fee for late submissions and for permission for changes required to be made in the application for registration, before or after registration;

(iii) Application fee for extension of registration under section 6 and renewal fee for registration under section 9.

(iv) Fee for any other matter as may be decided by the Authority by order from time to time.

8. Display of sanctioned plan and approved layout.- The sanctioned plans, layout plans, along with specifications, approved by the Competent Authority shall be prominently displayed by the promoter at the project site.

Explanation 1.- Display Boards of a minimum size of six feet by six feet, showing names and address of the Promoters/Developers, landowners, projects, dates of commencement of the project and proposed dates of completion, RERA registration number shall be put at a conspicuous place on the project/ construction sites.

9. Authority’s Office, Office Hours and Sittings.- (1) The head office of the Authority shall be at Patna. The Authority may, by order, establish benches and its offices at other places in the State.

(2) The Authority may conduct its proceedings at the head office or at any other place within its jurisdiction on days and time as directed by the Chairperson.

10. Language of the Authority.- (1) The proceedings of the Authority shall be conducted in English or Hindi.

(2) The Authority, at its sole discretion, may accept complaint petitions made in English or Hindi.

(3) The Authority may, in appropriate cases, direct translation of Petitions and their accompanying documents into English or Hindi.

11. Seal of the Authority.- Any document requiring authentication by the Authority shall be issued under the seal of the Authority, and shall be signed by the Secretary, Officer on Special Duty or other Officer authorized by the Authority in this behalf.

12. Officers of the Authority.- (1) The Authority shall have the power to fix the qualifications and experience for the various employees for discharging various duties and perform certain functions. The terms and conditions of service and appointment of such employees shall be subject to such conditions as may be specified by the Authority.

(2) The Authority may appoint, engage, empanel or retain Consultants, Lawyers, Pleaders and Experts to assist the Authority in the discharge of its functions.

(3) The Secretary shall be the Principal Executive Officer of the Authority and shall exercise his powers and perform his duties under the control of the Authority.

(4) In particular, and without prejudice to the generality of the provisions of sub regulation (3) of this regulation, the Secretary shall have the following powers to perform the following duties, viz:-

(i) He shall be custodian of the records and the seal of the Authority;

(ii) He shall receive or cause to receive all documents, including, inter alia, complaints, applications or reference pertaining to the Authority;

(iii) He shall scrutinize documents, including, inter alia, complaints, applications or references and shall be entitled to seek clarifications or rectifications upon the same and issue appropriate directions pertaining to the acceptance or rejection of such documents;

(iv) He shall prepare or cause to be prepared briefs and summaries of pleadings presented by various parties in cases filed before the Authority;

(v) He shall carry out such functions under the Act and the Rules, as may be delegated to him by the Authority, by general or special order;

(vi) He shall assist the Authority in the proceedings relating to the powers exercisable by the Authority, as directed by the Chairperson;,

(vii) He shall provide notice for meeting, prepare the agenda for meetings and record the minutes of the proceedings of the Authority's meetings;

(viii) He shall authenticate the orders passed by the Authority;

(ix) He shall, so far as it is possible, monitor compliance of the orders passed by the Authority and shall forthwith bring to the notice of the Authority any non-compliance thereof;

(x) He shall have the right to collect from the State Government or local authorities or other offices, companies and firms or any other party as may be directed by the Authority, such information and record, report, documents, etc. as may be considered necessary for the purpose of efficient discharge of the functions of the Authority under the Act and the Rules and place the same before the Authority.

(5) In the absence of the Secretary, an officer of the Authority designated by the Chairperson in this behalf shall exercise the powers and discharge the functions of the Secretary.

(6) The Chairperson shall in addition to the powers vested under Section 25 of the Act and Rule 21, at all times, have the power, either on an application made by any interested or affected party or suo-moto, to review, revoke, revise, modify, amend, alter or otherwise change any order issued or action taken by any Officer of the Authority, if considered appropriate.

(7) The Members may, with the written approval of the Chairperson, delegate to any Officer of the Authority any function required by these Regulations or otherwise to be exercised by the Secretary.

13. Meetings of the Authority.- (1) The provisions contained in sub regulations (2), (3), (4), (5), (6), (7) and (8) below, shall be applicable to the meetings of the Authority, other than the adjudicatory proceedings of the Authority.

(2) The quorum for the meetings of the Authority shall be two.

(3) If in any meeting of the Authority duly convened, the quorum is not present, the meeting shall stand adjourned for the next suitable date & time and place as decided by the Authority.

(4) The Chairperson shall preside over the meetings and conduct the business. Members stationed at Benches, outside Patna, may participate in the meetings through video conferencing. If the Chairperson is unable to be present in the meetings for any reason, or where there is no Chairperson, the senior Member present shall preside over at the meeting.

(5) All questions which come up before any meetings of the Authority shall be decided by a majority of votes of the Members present and voting. In the event of equality of votes, the Chairperson or in his absence, the Member presiding shall have a second or casting vote.

(6) Save as otherwise provided in these Regulations, every Member shall have one vote.

(7) The Secretary or in his absence an Officer of the Authority designated by the Chairperson, shall record the minutes of the meetings and maintain a register which will, amongst other things, contain the names and designation of Members and invitees present in the meeting, a record of proceedings and notes of dissent, if any. In case of dissent, the draft minutes shall, as soon as practicable, be sent to the Chairperson.

(8) The decision taken in a meeting of the Authority shall be recorded in the minutes in a clear and concise manner, along with reasons and a copy of the approved minutes shall be sent to all the members. In case the minutes record any statement/submission made by an invitee, a copy of the minutes shall be sent to such invitee.

14. Adjudication Proceedings before the Authority.- For adjudication proceedings with respect to complaints filed other than the matters falling under sections 12, 14, 18 and 19 of the Act with the Authority, the Authority may, by general order or specific order, direct that specific matters or issues be heard and decided by a single bench or double bench of either the Chairperson or any Member of the Authority.

15. Authorized Representative.- A person who is a party to any proceedings before the Authority may either appear in person or authorise any other person as specified under section 56 of the Act to present his case before the Authority and to do all or any of the acts for the purpose:

Provided that the person appearing on behalf of any person in any proceeding before the Authority shall file a Memorandum of Authorisation/ Vakalatnama, in Form 6 herein:

Provided further that the Authority may, from time to time, determine the terms and conditions subject to which the allottees may authorize representative(s) to plead on their behalf. In such cases the Authority shall have the power to summon and enforce the attendance of all persons who are concerned with the Real Estate Project, including lenders, landowners in case of joint venture or development agreement as well as the persons who have accorded permissions to the Real Estate Project, as Competent Authority.

16. Orders of the Authority.- (1) The Authority, Chairperson or Members as the case may be hearing a proceeding shall pass orders in such proceedings, and such orders shall be signed by the Chairperson, Members or the Authority, as the case may be, hearing such proceeding.

(2) All orders and decisions shall be certified by the signature of the Secretary or an Officer empowered in this behalf by the Chairperson and shall bear the official seal of the Authority and shall be uploaded on the website of the Authority.

17. Records of the Authority.- (1) The Authority shall maintain an indexed database of its records including, inter alia, complaints filed, details of hearings conducted, orders /documents issued from time to time.

(2) The Authority shall, on such terms and conditions as the Authority considers appropriate, provide for supply of certified copies of orders, documents and papers available with the Authority to any person, applying in Form 7, subject to the payment of requisite fee and complying with such terms as the Authority may direct. The Authority shall designate an Officer for ensuring timely response to requests received for supply of certified copies of documents within a period of fourteen (14) working days from the date of receipt of request.

(3) The Authority may, by order, direct that any information, documents and papers/materials maintained by the Authority, shall be confidential or privileged and shall not be available for inspection or supply of certified copies, and the Authority may also direct that such document, papers, or materials shall not be used in any manner except as specifically authorized by the Authority.

(4) The Authority shall endeavour to make information involving public interest accessible and available to the public, , through its website.

(5) The Chairperson may depute an officer of the Authority as Information Officer as provided under the Right to Information Act, 2005 and another officer of the Authority as Appellate Authority under the said RTI Act.

18. Interim Orders, Investigation, Inquiry, collection of information, etc..- (1) The Authority may pass such ad-interim or interim orders, as the Authority may consider appropriate at any stage of any proceedings, having regard to the facts and circumstances of the case.

(2) The Authority may make such direction or order as it thinks fit for collection of information, inquiry, investigation etc. and without prejudice to the generality of its powers, including, inter alia, the following:-

(a) The Authority may, at any time, direct the Secretary or any one or more Officers or any other person as the Authority considers appropriate to study, investigate or furnish information with respect to any matter within the jurisdiction of the Authority under the Act and the Rules;

(b) The Authority may, for the above purpose, give such other directions as it may deem fit and state the time within which the report is to be submitted or information furnished;

(c) The Authority may issue or authorise the Secretary or an Officer to issue directions to any person to produce before it and allow to be examined and kept by an Officer of the Authority directed in this behalf the books, accounts, etc., or to furnish any information to the designated Officer;

(d) The Authority may issue such directions, for the purpose of collection of any information, particulars or documents that the Authority considers necessary in connection with the discharge of its functions under the Act and the Rules;

(e) If any such report or information obtained appears to the Authority to be insufficient or inadequate, the Authority or the Secretary or an Officer authorised for the purpose may give directions for further inquiry, report and furnishing of information;

(f) The Authority may direct such incidental, consequential and supplemental matters to be attended to which may be considered relevant in connection with the above;

(g) The Authority may for the above purposes take the help of the police or such other authorities that may be considered necessary and expedient.

(3) If the report or information obtained in accordance with Regulation 18 (2) above or any part thereof is proposed to be relied upon by the Authority for forming its opinion or view in any proceedings, the parties to the proceedings shall be given a reasonable opportunity for filling objections and making submissions on such report or information.

19. Confidentiality.-(1) The Bench hearing the matter shall appraise and determine whether any documents or evidence provided to it by any party and claimed by that party to be of a confidential nature merits being withheld from disclosure to other parties as being confidential and shall provide brief reasons in writing for arriving at its conclusion.

(2) If the Bench is of the view that the claim for confidentiality is justified the Bench may direct that the same be not provided to such parties as the Bench may deem fit. However, the party claiming the confidentiality shall provide a brief non-confidential summary of the substance of the documents found to be confidential and the import of the same.

(3) Notwithstanding the above, it shall be open to the Bench to take into consideration the contents of the documents found to be confidential in arriving at its decision.

20. Review of decisions, directions, and orders.- (1) Any person aggrieved by a direction, decision or order of the Authority, from which

(i) no appeal has been preferred or;

(ii) from which no appeal is allowed, may, upon the discovery of new and important matter or evidence which, after the exercise of due diligence, was not within his knowledge or could not be produced by him at the time when the direction, decision or order was passed or on account of some mistake or error apparent from the face of the record, or for any other sufficient reasons, may apply for a review of such order, within forty-five (45) days of the date of the direction, decision or order, as the case may be, to the Authority.

(2) An application for such review shall be filed in the same manner as a complaint under these Regulations.

(3) The Authority shall for the purposes of any proceedings for review of its decisions, directions and orders be vested with the same powers as are vested in a civil court under the Code of Civil Procedure, 1908 and as per clause (iv) of sub - section (2) of section 35 of Act.

(4) When it appears to the Authority that there is no sufficient ground for review, the Authority shall reject such review application.

(5) When the Authority is of the opinion that the review application should be granted, it shall grant the same provided that no such application will be granted without previous notice to the opposite side or party to enable him to appear and to be heard in support of the decision or order, the review of which is applied for.

21. Continuance of Proceedings after death, etc..-(1) Where in a proceeding, any of the parties to the proceeding dies or is adjudicated as an insolvent or in the case of a company under liquidation/winding up, the proceeding shall continue with the other partners, successors-in-interest, the executor, administrator, receiver, liquidator or other legal representative of the party concerned, as the case may be.

(2) The Authority may, for reasons to be recorded, treat the proceedings as abated in case the Authority so directs and dispense with the need to bring the successors-in-interest on the record of the case.

(3) In case any person wishes to bring on record the successors-in-interest, etc., the application for the purpose shall be filed within ninety (90) days from the event requiring the successors-in-interest to be brought on record. The Authority may condone the delay, if any, for sufficient reasons.

22. Issue of orders and directions.- Subject to the provisions of the Act, Rules and Regulations, the Authority may, from time to time issue orders and directions in regard to the implementation of the Regulations and procedure to be followed as it deems fit.

23. Saving of Inherent power of the Authority.- (1) Nothing in the Regulations shall be deemed to limit or otherwise affect the inherent power of the Authority to make such orders as may be necessary for meeting the ends of justice or to prevent the abuse of the process of the Authority.

(2) Nothing in these Regulations shall bar the Authority from adopting in conformity with the provisions of the Act or Rules, a procedure, which is at variance with any of the provisions of these Regulations including summary procedures, if the Authority, in view of the special circumstance of a matter or class of matters and for reasons to be recorded in writing, deems it necessary or expedient for so dealing with such a matter or class of matters.

(3) Nothing in the Regulations shall bar the Authority to deal with any matter or exercise any power under the Act or Rules, for which no regulations have been framed, and the Authority may deal with such matters, powers and functions in a manner as it thinks fit.

24. General power to amend/rectify.- The Authority may, at any time and on such terms as to costs or otherwise, as it may think fit, amend any defect or error in any proceedings before it (including any clerical or arithmetical error in any order passed by the Authority), and all necessary amendments, rectifications shall be made for the purpose of determining the real question or issue arising in the proceedings.

Provided that if the Authority desires to make amendments or rectifications in order to determine the real question or issue arising the Authority shall provide an opportunity to the parties affected by such amendment or rectification touching the real question or issue to make representations and submissions with respect to the proposed amendment or rectification.

25. Power to remove difficulties.- If any difficulty arises in giving effect to any of the provisions of the Regulations, the Authority may remove such difficulties, by such general or special order, which is not inconsistent with the provisions of the Act or Rules and which appears to be necessary or expedient for the purpose of removing the difficulties.

26. Extension of time prescribed.- Subject to the provisions of the Act or the Rules, the time prescribed by the Regulations or by order of the Authority for doing any act may be extended (whether it has already expired or not) for sufficient reason by an order of the Authority.

27. Effect of non compliance.- Failure to comply with any requirement of the Regulations shall not invalidate any proceeding merely by reason of such failure unless the Authority is of the view that such failure has resulted in miscarriage of justice.

28. Costs.- (1) Subject to such condition and limitation as may be directed by the Authority/Bench, the costs of and incidental to, all proceedings shall be awarded at the discretion of the Authority/Bench and the Authority/Bench shall have full power to determine by whom or out of what funds and to what extent such costs are to be paid and give all necessary directions for the aforesaid purposes.

(2) The costs shall be paid within sixty (60) days from the date of the order or within such time as the Authority/Bench may, by order, direct. If a party fails to comply with an order for costs within the permitted period, the order of the Authority/Bench awarding costs shall be executed forthwith in the same manner as a decree/order of a Civil Court.

29. Administrative Charges and Standard Fees.-The Authority may, by order, fix standard fees, to be levied on the litigating parties , promoters or real estate agents or allotters for inspection of documents, certified copies of documents, the updating of website, database management and maintenance of the website etc.

30. Committees.- (1) The Authority shall create an Internal Vigilance Committee for the effective working of the office which may be headed by a retired public servant/ professional having minimum 15 years of experience and the report prepared shall be submitted in the meetings of the Authority.

(2) The Authority may depute/appoint retired public servant/professionals for conducting investigation as enumerated under regulation 18(2).

(3) The Authority shall create Internal Complaints Committee under The Sexual Harasssment of Women at Workplaces (Prevention, Prohibition and Redressal) Act, 2013.

31. Common facilities.- (1) The Authority shall provide for a common room with separate crèche facility as far as practicable which may be used by /litigants/advocates and women employees of the Authority.

32. Service Conduct of the Authority.-Except as otherwise provided by an order of the Authority under these Regulations, the Bihar Government Service Conduct Rules, 1976 (as amended from time to time) shall apply to all the employees on the roll of the Authority.

By Order,
Sd./Illegible, Chairman,
Real Estate Regulatory Authority.

अधीक्षक, सचिवालय मुद्रणालय
बिहार, पटना द्वारा प्रकाशित एवं मुद्रित।
बिहार गजट, 17—571+10-डी०टी०पी०।
Website : http : / /egazette . bih . nic . in

बिहार गजट
का
पूरक (अ0)
प्राधिकारी द्वारा प्रकाशित

सं0 कारा / नि0को0(अधी0)–01–09 / 2021––6568

कारा एवं सुधार सेवाएँ निरीक्षणालय

गृह विभाग (कारा)

संकल्प

30 जुलाई 2021

चूँकि बिहार–राज्यपाल को यह विश्वास करने का कारण है कि दिनांक 03.03.2021 को जिलाधिकारी, पटना के नेतृत्व में जिला प्रशासन द्वारा आदर्श केन्द्रीय कारा, बेऊर, पटना में की गई औचक छापेमारी में 02 मोबाईल फोन, 01 मोबाईल सिम एवं 02 पंजियों की बरामदगी तथा निरीक्षण में पाई गई अन्य कतिपय अनियमितता एवं दिनांक 07.03.2021 को कारा प्रशासन द्वारा की गई छापेमारी में 01 मोबाईल फोन एवं 01 मोबाईल चार्जर तथा दिनांक 08.03.2021 को कारा महानिरीक्षक के नेतृत्व में की गई औचक छापेमारी पुनः 02 मोबाईल फोन, 01 पेन डाईव एवं अन्य प्रतिबंधित सामग्रियों की बरामदगी तथा कारा के अन्दर से बंदियों द्वारा वीडियो बनाकर वायरल किये जाने की घटना में श्री सत्येन्द्र कुमार, तत्कालीन अधीक्षक, आदर्श केन्द्रीय कारा, बेऊर, पटना सम्प्रति निलंबित (संलग्न केन्द्रीय कारा, पूर्णियाँ) द्वारा अपने कर्त्तव्यों के निर्वहन में गंभीर लापरवाही एवं उदासीनता बरती गई है।

श्री कुमार का यह कृत्य बिहार कारा हस्तक, 2012 के नियम 140, 796 (i), (ii), 797 (iii), 870 (iii), (iv) एवं बिहार सरकारी सेवक आचार नियमावली, 1976 के नियम–3 (1), (2) के विहित प्रावधानों के सर्वथा प्रतिकूल है, जैसा कि संलग्न आरोप पत्र में वर्णित है।

2. अतः यह निर्णय लिया गया है कि श्री सत्येन्द्र कुमार, तत्कालीन अधीक्षक, आदर्श केन्द्रीय कारा, बेऊर, पटना सम्प्रति निलंबित (संलग्न केन्द्रीय कारा, पूर्णियाँ) के विरूद्ध संलग्न प्रपत्र 'क' में अंकित आरोपों की जाँच के लिए बिहार सरकारी सेवक (वर्गीकरण, नियंत्रण एवं अपील) नियमावली, 2005 के सुसंगत प्रावधानों के आलोक में विभागीय कार्यवाही संचालित की जाय।

3. इस विभागीय कार्यवाही के संचालन के लिए बिहार सरकारी सेवक (वर्गीकरण, नियंत्रण एवं अपील) नियमावली, 2005 के नियम 17(2) के तहत आयुक्त, पटना प्रमण्डल, पटना को संचालन पदाधिकारी तथा अधीक्षक, आदर्श केन्द्रीय कारा, बेऊर, पटना को प्रस्तुतीकरण पदाधिकारी नियुक्त किया जाता है।

4. श्री कुमार से अपेक्षा की जाती है कि वे अपने बचाव के संबंध में अपना पक्ष रखने हेतु, जैसा कि संचालन पदाधिकारी अनुमति दें, उनके समक्ष स्वयं उपस्थित हों।

5. संचालन पदाधिकारी विभागीय कार्यवाही का जाँच प्रतिवेदन निर्धारित अवधि के अन्दर समर्पित करेंगे।

6. विभागीय कार्यवाही के संचालन के प्रस्ताव पर माननीय मुख्य (गृह) मंत्री का अनुमोदन प्राप्त है।

आदेशः–आदेश दिया जाता है कि इस संकल्प की प्रति बिहार राजपत्र के अगले अंक में प्रकाशित की जाय तथा इसकी प्रति सभी संबंधित को भेज दी जाय।

बिहार–राज्यपाल के आदेश से,

रजनीश कुमार सिंह, संयुक्त सचिव–सह–निदेशक (प्र0)।

सं0 कारा/नि0को0(मुक0)–09–02/2018––6561

———————

30 जुलाई 2021

श्री मोती लाल, बिहार कारा सेवा, तत्कालीन अधीक्षक, मंडल कारा, बिहारशरीफ सम्प्रति अधीक्षक, उपकारा, बेनीपट्टी के विरूद्ध प्रावधान के विपरीत कारा के अन्दर बाहरी कारीगर को बुलाकर विशेष प्रकार के पकवान बनवाने, काफी बड़ी मात्रा में सामग्रियों का बिना गेट पंजी में प्रविष्टि के जेल में प्रवेश कराने, जेल की महत्वपूर्ण पंजियों का संधारण नियमानुसार नहीं करने, प्रावधान के विपरीत संसीमित बंदी राजबल्लभ यादव को देय सुविधाओं के विपरीत अतिरिक्त सुविधाएँ मुहैया कराने एवं अन्य प्रतिवेदित आरोपों के लिए प्रपत्र 'क' में गठित आरोप के आलोक में विभागीय संकल्प ज्ञापांक 1848 दिनांक 26.03.2016 द्वारा उन्हें तत्काल प्रभाव से निलंबित करते हुए उनके विरूद्ध विभागीय कार्यवाही संस्थित की गयी थी।

2. विभागीय कार्यवाही के फलाफल के उपरान्त अनुशासनिक प्राधिकार के निर्णयानुसार विभागीय संकल्प ज्ञापांक 3786 दिनांक 17.07.2017 द्वारा श्री मोती लाल, तत्कालीन अधीक्षक, मंडल कारा, बिहारशरीफ के विरूद्ध बिहार सरकारी सेवक (वर्गीकरण, नियंत्रण एवं अपील) नियमावली, 2005 (समय–समय पर यथा संशोधित) के नियम–14 (ix) के तहत निम्नांकित दंड अधिरोपित किया गया :–

"अनिवार्य सेवानिवृत्ति"।

3. विभागीय संकल्प ज्ञापांक–3786 दिनांक 17.07.2017 द्वारा संसूचित उपर्युक्त दण्डादेश के विरूद्ध श्री मोती लाल द्वारा पुनर्विलोकन अभ्यावेदन समर्पित किया गया। श्री मोती लाल के पुनर्विलोकन अभ्यावेदन की समीक्षा अनुशासनिक प्राधिकार द्वारा की गयी। समीक्षोपरांत अनुशासनिक प्राधिकार के निर्णयानुसार विभागीय संकल्प ज्ञापांक 5738 दिनांक 06.10. 2017 द्वारा श्री मोती लाल के पुनर्विलोकन अभ्यावेदन को अस्वीकृत कर दिया गया।

4. उपर्युक्त दंडादेश एवं पुनर्विलोकन अभ्यावेदन अस्वीकृति संबंधी आदेश के विरूद्ध श्री मोती लाल द्वारा माननीय उच्च न्यायालय, पटना में सी0डब्लू0जे0सी0 संख्या–620/2018 दायर किया गया है, जिसमें माननीय न्यायालय द्वारा दिनांक 14.05.2018 को पारित न्यायादेश में विभागीय संकल्प ज्ञापांक 3786 दिनांक 17.07.2017 एवं 5738 दिनांक 06.10.2017 को निरस्त कर दिया गया।

5. उपरोक्त न्यायादेश के विरूद्ध राज्य सरकार द्वारा माननीय उच्च न्यायालय, पटना में L.P.A No.-1661/2018 दायर किया गया, जिसमें दिनांक 02.01.2019 को माननीय उच्च न्यायालय, पटना द्वारा पारित न्यायादेश के आलोक में अनुशासनिक प्राधिकार के निर्णयानुसार विभागीय संकल्प ज्ञापांक 945 दिनांक 04.02.2019 द्वारा संकल्प ज्ञापांक 3786 दिनांक 17.07.2017 एवं 5738 दिनांक 06.10.2017 को निरस्त करते हुए श्री मोती लाल को सेवा में पुनर्स्थापित किया गया एवं बिहार सरकारी सेवक (वर्गीकरण, नियंत्रण एवं अपील) नियमावली–2005 (समय–समय पर यथा संशोधित) के नियम–9(5) के तहत श्री मोती लाल को अनिवार्य सेवानिवृत्ति की तिथि 17.07.2017 के प्रभाव से अगले आदेश तक निलम्बित किया गया तथा निलम्बनावस्था में उनका मुख्यालय मंडल कारा, हाजीपुर पूर्व की भांति यथावत् रखा गया। साथ ही उनके विरूद्ध पूर्व में संस्थित विभागीय कार्यवाही (संकल्प ज्ञापांक 1848 दिनांक 26.03.2016 द्वारा संसूचित) को पुनः आरम्भ किया गया, जिसके संचालन हेतु संचालन पदाधिकारी के रूप में मुख्य जांच आयुक्त, बिहार, पटना को पूर्व की भांति यथावत् रखा गया।

6. विभागीय कार्यवाही के जाँचोपरान्त संचालन पदाधिकारी–सह–मुख्य जाँच आयुक्त, बिहार, पटना के पत्रांक–456 अनु0 दिनांक–17.07.2020 द्वारा जाँच प्रतिवेदन उपलब्ध कराया गया, जिसमें आरोप संख्या–1, 2, 3, 4, 6 एवं 8 को अंशतः प्रमाणित, आरोप संख्या–05 को प्रमाणित तथा आरोप संख्या–07 को अप्रमाणित प्रतिवेदित किया गया।

7. उक्त विभागीय कार्यवाही के फलाफल के पश्चात् प्रमाणित आरोपों के लिए अनुशासनिक प्राधिकार द्वारा बिहार लोक सेवा आयोग, पटना से परामर्श प्राप्त कर विभागीय संकल्प ज्ञापांक 1471 दिनांक 17.02.2021 द्वारा श्री मोतीलाल के विरूद्ध निम्नांकित दंड अधिरोपित करते हुए उन्हें निलंबन से मुक्त किया गया :–

(i) देय तिथि से प्रोन्नति पर पाँच (05) वर्षों तक रोक।

(ii) संचयात्मक प्रभाव के साथ पाँच (05) वेतनवृद्धियों को रोकने का दण्ड।

8. श्री मोती लाल दिनांक–26.03.2016 से दिनांक–17.07.2017 एवं दिनांक–17.07.2017 से दिनांक–16.02.2021 तक निलंबित रहे हैं। अनुशासनिक प्राधिकार द्वारा श्री मोती लाल को निलंबन अवधि में देय जीवन यापन भत्ता के बिन्दु पर निर्णय लिये जाने हेतु बिहार सरकारी सेवक (वर्गीकरण, नियंत्रण एवं अपील) नियमावली–2005 के नियम–11 (5) के विहित प्रावधान के आलोक में विभागीय ज्ञापांक 3587 दिनांक 26.04.2021 द्वारा उनसे साठ दिनों के अन्दर अभ्यावेदन की मांग की गयी।

9. श्री मोती लाल का अभ्यावेदन दिनांक 21.06.2021 प्राप्त हुआ, जिसमें उनका कहना है कि बिहार सरकारी सेवक (वर्गीकरण, नियंत्रण एवं अपील) नियमावली–2005 के नियम–10 में प्रावधान है कि जहाँ निलम्बन की अवधि बारह माह से अधिक हो गयी हो वहाँ वह प्राधिकार जिसने ऐसा निलम्बनादेश पारित किया हो प्रथम बारह माह के पश्चात्वर्ती किसी अवधि के लिए जीवन निर्वाह भत्ता की रकम में 50 प्रतिशत की राशि तक वृद्धि की जायेगी। उन्हें दिनांक 26.03.2016 को निलम्बित किया गया। विभागीय कार्यवाही के निष्पादन में उन्होंने हमेशा सहयोग किया है। ऐसी स्थिति में दिनांक 26.03.2017 से उन्हें देय जीवन निर्वाह भत्ता की राशि में 50% की वृद्धि कर दी जानी चाहिए थी। उनका कहना है कि उनके मामले में निलम्बन की अवधि लगभग पाँच वर्ष हो जाती है जबकि माननीय न्यायालय द्वारा पारित न्यायादेश (LPA No.-1661/2018) में विभागीय कार्यवाही को 03 माह में ही सम्पन्न करने का आदेश था जबकि उनके द्वारा विभागीय कार्यवाही के निष्पादन में

हमेशा सहयोग किया गया है। वैसे भी उन्हें दण्ड मिलने के उपरांत निलम्बन की अवधि में पाये गये जीवन निर्वाह भत्ता के अलावा और कुछ भुगतान नहीं हुआ है, जो विकट आर्थिक क्षति के रूप में है।

10. श्री मोती लाल का कहना है कि वैसे उनके विरूद्ध पाँच वेतन वृद्धियाँ देय तिथि से संचयात्मक प्रभाव से रोकने का दण्ड पारित किया गया है जिसका अर्थ है पाँच वेतन वृद्धियाँ वे हमेशा के लिए खो देंगे, जो आर्थिक रूप से उनके पूरे सेवा काल को प्रभावित करेगी। उनका कहना है कि उन्होंने पूरी निष्ठा एवं ईमानदारी के साथ अपने कर्त्तव्यों का निर्वहन किया है। संचालन पदाधिकारी द्वारा उनके ऊपर सिर्फ पर्यवेक्षण का अभाव पाया गया है तथा अन्य कतिपय त्रुटियों के लिए प्रभारी उपाधीक्षक तथा गेट वार्डर को दोषी ठहराया गया है। कारा एक संवेदनशील संस्थान है और इसमें विधि–व्यवस्था को नियंत्रित करना सर्वोच्च प्राथमिकता में आता है। उन्होनें इस मामले में न्यायोचित निर्णय लेने पर विचार किये जाने तथा दण्ड के परिणाम को न्यायसंगत बनाते हुए निलम्बन अवधि में भी पूर्ण वेतन की राशि का भुगतान करने का अनुरोध किया है।

11. श्री मोती लाल के अभ्यावेदन की समीक्षा की गई। समीक्षोपरान्त पाया गया कि श्री मोती लाल के विरूद्ध संस्थित विभागीय कार्यवाही में संचालन पदाधिकारी द्वारा समर्पित जाँच प्रतिवेदन में प्रमाणित पाये गये आरोपों के लिए बिहार लोक सेवा आयोग, पटना से परामर्श प्राप्त कर विधिवत् प्रक्रिया का पालन करते हुए दण्ड अधिरोपित किया गया है। श्री लाल के विरूद्ध कारा के महत्वपूर्ण पंजियों का नियमानुसार संधारण नहीं किये जाने एवं भारी मात्रा में सामग्रियों का बिना गेट पंजी में प्रविष्टि के कारा में प्रवेश कराने के आरोप प्रमाणित पाये गये है। इसके लिए बिहार लोक सेवा आयोग का परामर्श प्राप्त कर अनुशासनिक प्राधिकार द्वारा श्री लाल को ''देय तिथि से प्रोन्नति पर पाँच वर्षो तक रोक'' तथा ''संचयात्मक प्रभाव से पाँच वेतनवृद्धियों को रोकने का दण्ड'' अधिरोपित किया गया है। उपरोक्त तथ्यों से स्पष्ट है कि श्री लाल का निलम्बन औचित्यपूर्ण है। अतः उनका अभ्यावेदन अस्वीकृत किया जाता है।

12. उपरोक्त परिप्रेक्ष्य में अनुशासनिक प्राधिकार के निर्णयानुसार श्री मोती लाल, तत्कालीन अधीक्षक, मंडल कारा, बिहारशरीफ सम्प्रति अधीक्षक, उपकारा, बेनीपट्टी के निलंबन अवधि दिनांक–26.03.2016 से दिनांक–17.07.2017 एवं दिनांक–17.07.2017 से दिनांक–16.02.2021 तक के संबंध में बिहार सरकारी सेवक (वर्गीकरण, नियंत्रण एवं अपील) नियमावली–2005 के नियम–11 के उप नियम–07 एवं 08 के आलोक में निम्न आदेश दिया जाता हैः–

'' निलंबन अवधि में जीवन निर्वाह भत्ता के अतिरिक्त कुछ भी देय नहीं होगा तथा इस अवधि की गणना पेंशन प्रदायी सेवा के रूप में की जायेगी।''

आदेशः–आदेश दिया जाता है कि इस संकल्प की प्रति बिहार राजपत्र के अगले अंक में प्रकाशित की जाय तथा इसकी प्रति सभी संबंधित को भेज दी जाय।

बिहार–राज्यपाल के आदेश से,
रजनीश कुमार सिंह, संयुक्त सचिव–सह–निदेशक (प्र0)।

सं0 प्र0–रा0 (आ0)–07 / 2021––2005 / एम0

खान एवं भूतत्व विभाग

संकल्प

29 जुलाई 2021

आर्थिक अपराध इकाई के जांच प्रतिवेदन के आलोक में श्री प्रमोद कुमार, तत्कालीन खनिज विकास पदाधिकारी, भोजपुर सम्प्रति खनिज विकास पदाधिकारी (मु0) को अपने दायित्वों का निर्वहन नहीं करने, अवैध बालू उत्खनन में संलग्न व्यक्तियों को मदद पहुँचाने एवं भ्रष्टाचार में संलिप्त होने के कारण बिहार सरकारी सेवक (वर्गीकरण, नियंत्रण एवं अपील) नियमावली, 2005 के नियम 9 (1) (ग) के तहत संकल्प निर्गत होने की तिथि से अगले आदेश तक के लिए निलंबित किया जाता है।

निलंबन अवधि में इनका मुख्यालय निदेशक, खान का कार्यालय निर्धारित किया जाता है। इन्हें निलंबन अवधि में बिहार सरकारी सेवक (वर्गीकरण, नियंत्रण एवं अपील) नियमावली, 2005 के नियम 10 के अनुसार जीवन–निर्वाह भत्ता का भुगतान किया जाएगा।

श्री प्रमोद कुमार, तत्कालीन खनिज विकास पदाधिकारी, भोजपुर सम्प्रति खनिज विकास पदाधिकारी (मु0) के विरूद्ध प्रतिवेदित आरोपों की वृहद जाँच हेतु विभागीय कार्यवाही का आदेश अलग से निर्गत किया जायेगा।

आदेशः—आदेश दिया जाता है कि इस संकल्प की प्रति बिहार राजपत्र के अगले अंक में प्रकाशित किया जाय तथा इसकी प्रति सभी संबंधित को भेज दी जाय।

बिहार—राज्यपाल के आदेश से,
(ह0) अस्पष्ट, अवर सचिव।

सं0 8/आ0 (राज0 नि0)—01—27/2019—2505

मद्य निषेध, उत्पाद एवं निबंधन विभाग

संकल्प

26 जुलाई 2021

चूँकि बिहार के राज्यपाल को यह विश्वास करने का कारण है कि सुश्री अपर्णा शिवा, तत्का0 अवर निबंधक, दानापुर, पटना सम्प्रति अवर निबंधक, हवेली, खड़गपुर (मुंगेर) के विरूद्ध श्री इम्तेयाज अहमद खान से प्राप्त परिवाद पत्र जिसमें मो0 इकबाल अहमद खान ने उनके पक्ष में एक बसियतनामा दस्तावेज घर पर आकर निबंधित करने का अनुरोध किया था, जिसका निष्पादन नहीं किया गया, जबकि घर पर आकर निबंधन करने का फीस J(I) का भुगतान E-Stamp के माध्यम से दिनांक 04.02.2019 को कर दिया गया था। एक अन्य परिवादी श्री रामगुलाम यादव से प्राप्त परिवाद पत्र की जॉच त्रिसदस्यीय समिति से करायी गई है, जिसमें दस्तावेज सं0—2134/2019 एवं 2147/2019 के निबंधन में रू. 1,16,644/—(एक लाख सोलह हजार छः सौ चौवालीस) रूपये मात्र की राजस्व क्षति हुई है। दस्तावेज के निबंधन में निबंधन अधिनियम, 1908 एवं बिहार रजिस्ट्रीकरण नियमावली, 2008 के नियम—9 का पालन नहीं किये जाने, विभागीय अधिनियमों/नियमों एवं बिहार सरकारी सेवक आचार नियमावली, 1976 के नियम—3 (1) का उल्लंघन करने आदि आरोप विनिर्दिष्ट है। जैसा कि संलग्न आरोप पत्र में वर्णित है।

2. अतएव बिहार के राज्यपाल ने यह निर्णय लिया है कि सुश्री शिवा के विरूद्ध संलग्न विनिर्दिष्ट आरोपों के जॉच के लिए उनके विरूद्ध बिहार सरकारी सेवक (वर्गीकरण, नियंत्रण एवं अपील) नियमावली 2005 के नियम—17 (2) में विहित रीति से विभागीय कार्यवाही चलायी जाय। इस विभागीय कार्यवाही के लिए सहायक निबंधन महानिरीक्षक, पटना प्रमंडल, पटना को संचालन पदाधिकारी एवं जिला अवर निबंधक, पटना को प्रस्तुतीकरण पदाधिकारी नियुक्त किया जाता है।

3. सुश्री शिवा से अपेक्षा की जाती है कि वे अपने बचाव वयान के संबंध में अपना पक्ष रखने हेतु जैसा कि संचालन पदाधिकारी अनुमति दें, उनके समक्ष स्वयं उपस्थित हों।

आदेशः—आदेश दिया जाता है कि संकल्प को बिहार राजपत्र के अगले अंक में प्रकाशित किया जाय तथा इसकी प्रति आरोप पत्र के साथ संचालन पदाधिकारी, प्रस्तुतीकरण पदाधिकारी एवं आरोपी पदाधिकारी को भी उपलब्ध करा दिया जाय।

बिहार—राज्यपाल के आदेश से,
विनय कुमार, संयुक्त सचिव।

अधीक्षक, सचिवालय मुद्रणालय
बिहार, पटना द्वारा प्रकाशित एवं मुद्रित।
बिहार गजट, 17—571+10-डी0टी0पी0।
Website : http : //egazette . bih . nic . in